

सा-61  
2018-19

4815  
27/05/19

हलक 03<sup>1</sup>  
27-4-2019

अध्यापक, इलाहाबाद,  
नगरपालिका परिषद, इटावा

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद  
सम्परीक्षा आख्या

संस्था का नाम :- नगर पालिका परिषद, इटावा

अवधि :- 2017-18

सम्परीक्षा का दिनांक :- लेखे की सम्परीक्षा दिनांक 29.06.2018 को प्रारम्भ करके दिनांक 13.02.2019 को समाप्त की गयी।

सम्परीक्षा का स्वरूप :- उप लेखा परीक्षा।

प्रस्तावना :- इस निकाय की सम्परीक्षा आख्या भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा स्थापित सम्परीक्षा मापदण्डों एवं लेखा प्रमाणन के सिद्धान्तों के साथ-साथ निकाय हेतु निर्मित अधिनियम के सुसंगत धाराओं एवं प्रावधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों के आधार पर तैयार की गयी है।

प्रशासन :- आलोच्य अवधि में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष पद पर निम्नांकित व्यक्ति आसीन रहे-

	अध्यक्ष पद पर	कार्यकाल
1.	श्री कुलदीप गुप्ता, अध्यक्ष	01.04.2017 से 06.08.2017 तक
2.	श्री अनिल कुमार, अधिशासी अधिकारी	07.08.2017 से 11.12.2017 तक
3.	श्रीमती नौशाबा फुरकान, अध्यक्ष	12.12.2017 से 31.03.2018 तक
	<b>अधिशासी अधिकारी</b>	
1.	श्रीमती नीलम चौधरी, अधिशासी अधिकारी	01.04.2017 से 24.04.2017 तक
2.	श्री जगजीवनराम, कर निर्धारण अधिकारी	25.04.2017 से 30.06.2017 तक
3.	श्री विकास सैन, अधिशासी अधिकारी	01.07.2017 से 04.07.2017 तक
4.	श्री अनिल कुमार, अधिशासी अधिकारी	15.07.2017 से 31.03.2018 तक

पालिका निधि का आहरण एवं वितरण प्राधिकार संयुक्त रूप से अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी में निहित था। एवं बैंक लेन-देन उपर्युक्त दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया गया।

दिनांक 07.08.2017 से 11.12.2017 तक की अवधि में बोर्ड का गठन न होने की दशा में आहरण/वितरण का कार्य अधिशासी अधिकारी एवं लेखाकर के संयुक्त हस्ताक्षर से किया गया।

भाग-(क)

क- वित्तीय एवं सामान्य महत्व की अनियमिततायें :-

(1) वाणिज्यकर कटौती रू0 84,31,953.00 की भारी भरकम राशि निर्धारित लेखाशीर्षक में न जमा होने से राजकीय राजस्व की क्षति :- नगर पालिका परिषद इटावा के अन्तर्गत सफाई व्यवस्था बनाये रखने हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई कार्यो को कराये जाने से सम्बन्धित

SI / Accd  
Form no 2  
27/5/19

Accd



पत्रावली की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि वर्ष 2016-17 के लिए सफाई व्यवस्था अन्तर्गत आउट सोर्सिंग के माध्यम से सफाई कार्यों को कराये जाने के लिए मै० मुहम्मद इकबाल निवासी ख्यालीराम इटावा की निविदा सं०-343/73 ( आयकर, सेवाकर आदि कर सहित) प्रति सफाई श्रमिका प्रतिदिन न्यूनतम होने के कारण स्वीकार की गयी थी। वर्ष 2017-18 टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गयी थी जो अनियमित पाया गया। वर्ष 2017-18 हेतु पत्रावली में दर्शित मुख्य सफाई निरीक्षक/अधिसासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका की अनुमोदन टिप्पणी में उल्लेख था कि सफाई व्यवस्था की महत्वता को दृष्टिगत रखते हुए पालिका एवं जनहित में वित्तीय वर्ष 2016-17 में सफाई श्रमिक आपूर्ति ठेकेदार मै० मुहम्मद इकबाल की अनुभव एवं कार्य दक्षता के आधार पर पूर्व स्वीकृत दरों एवं शर्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में सफाई कार्य हेतु स्वीकृत दर सहमति दी जाती है जिसके अनुसार अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद इटावा के पत्रांक-313/स्वा० वि०/2016-17 दिनांक 31.03.2017 द्वारा मै० मुहम्मद इकबाल निवासी मढैया ख्यालीराम इटावा को नगर पालिका परिषद इटावा सीमान्तर्गत वर्ष 2017-18 के लिए सफाई व्यवस्था अन्तर्गत आउट सोर्सिंग के माध्यम से सफाई के कार्यों को कराये जाने हेतु गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्व स्वीकृत दर तथा शर्तों एवं नवीन शर्त नियमानुसार भविष्य निधि कटौती सहित स्वीकृत के अनुसार आदेश निर्गत किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में फर्म मै० मुहम्मद इकबाल को सफाई व्यवस्था के अन्तर्गत आउट सोर्सिंग के माध्यम से सफाई कार्यों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये बिलों का कुल भुगतान रू० 49517568.00 ( 01 अप्रैल 17 से 30 जून 17 तक कार्यों हेतु कुल भुगतान रू० 16040331.00(+)) जुलाई 17 से मार्च 18 तक कार्यों हेतु कुल भुगतान रू० 33477237.00) किया गया था। फर्म मै० मुहम्मद इकबाल को वर्ष 2017-18 में सफाई कार्यों हेतु स्वीकृत दर जिसमें सेवाकर/जी० एस० टी० का निर्धारित प्रतिशत भी सम्मिलित है, भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों को धनराशि सहित भुगतान कर दिया था। यदि उक्त फर्म द्वारा भुगतानित सेवाकर/जी० एस० टी० की धनराशि व्यापार कर विभाग के लेखा शीर्षक/उप लेखा शीर्षक में जमा की गयी हो तो उसका चालान/बाउचर की सत्यापित मूलप्रति सम्परीक्षा में उपलब्ध करायी जाय।

वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2017/ए-1-133/दस-2017-10(26) /2016 दिनांक 15 फरवरी 2017 के प्रस्तर-2 एवं 3 में स्पष्ट निदेश दिया गया है कि संस्थाओं द्वारा व्यापारियों को कार्य संविदा के अन्तर्गत कराये गये काग्र के विरुद्ध भुगतान सम्बन्धी बिल पास होने पर उनके भुगतान से पूर्व निर्धारित प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर की कटौती कर लिया जाना सुनिश्चित होने पर ही सम्बन्धित बिल भुगतान किया जाये तथा आहरण वितरण अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र भी लिया जाय कि सम्बन्धित फर्म द्वारा वाणिज्य कर की राशि वाणिज्य कर विभाग के लेखा शीर्षक में जमा कर दी गयी है। साथ ही नगर विभाग अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या-962/नौ-9-2017-81ज/17 दिनांक 17 अक्टूबर 2017 में निदेश दिया गया है कि फर्म द्वारा जी० एस० टी० का भुगतान किया जायेगा तथा जी० एस० टी० विषयक बाउचर निकाय में जमा करने के उपरान्त इस धनराशि की प्रतिपूर्ति निकाय द्वारा फर्म को किया जायेगा।

अतः नगर पालिका द्वारा उक्त फर्म के बिलों के भुगतान से वाणिज्यकर कटौती न करने तथा जी० एस० टी० का भुगतान फर्म द्वारा जी० एस० टी० भुगतान विषयक बाउचर निकाय में जमा न करने के उपरान्त इस धनराशि की प्रतिपूर्ति निकाय द्वारा फर्म किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।



उक्त फर्म को वित्तीय वर्ष 2017-18 कुल भुगतान निम्नानुसार किया गया जिस पर जी0 एस0 टी0 से पूर्व व्यवस्था अनुसार वाणिज्यकर कटौती तथा जी0 एस0 टी0 व्यवस्था लागू होने पर जी0 एस0 टी0 की धनराशि बनती है।

अवधि	कुल धनराशि	सेवाकर/वाणिज्य कर धनराशि 15 प्रतिशत	जी0एस0टी0 धनराशि 18 प्रतिशत
1. अप्रैल 17 से 30 जून 17 के कार्यों हेतु	16040331.00	2406050.00	—
2. जुलाई 17 से मार्च 18 के कार्यों हेतु	33477237.00	—	6025903.00
	योग	2406050.00	6025903.00

इस प्रकार सेवाकर/वाणिज्यकर की धनराशि रू0 2406050.00 तथा जी0 एस0 टी0 धनराशि रू0 6025903.00 की राशि कुल धनराशि रू0 8431953.00 की धनराशि वाणिज्य विभाग के निर्धारित शीर्षक में न जमा होने से राजकीय राजस्व की क्षति हुई जिस हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति सम्परीक्षा समाप्त तिथि तक अस्पष्ट रही।

*P.L.* (2) रेस्टोरेन्ट, मिष्ठान भण्डार आदि पर लाइसेन्स शुल्क कम दर से वसूल किये जाने से पालिका को रू0 11,98,390.00 की आर्थिक क्षति :- पालिका के लाइसेन्स अनुभाग में अनुरक्षित पंजी की जाँच से प्रकाश में आया कि खाद्य पदार्थ एवं होटल उपविधि अन्तर्गत होटल/रेस्टोरेन्ट/उच्च श्रेणी की मिठाई की दुकानों का लाइसेन्स तीन वर्षों का विवरण निम्नानुसार दर्शित था-

क्र0	मद का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		ला0 भ0	प्राप्त राशि	ला0 भ0	प्राप्त राशि	ला0 भ0	प्राप्त राशि
1.	खाद्य पदार्थ	382	3820	371	3710	948	9480
2.	होटल उपविधि के अन्तर्गत होटल/रेस्टोरेन्ट/उच्च श्रेणी की मिठाई की दुकान	194	9450	189	9450	280	14000

उपरोक्त खाद्य पदार्थ (छोटे स्तर की खाने पीने दुकानों) की दुकानों से लाइसेन्स शुल्क रू0 10.00 प्रति तथा होटल उपविधि के अन्तर्गत दुकानों से रू0 50.00 प्रति दुकान प्रति वसूल किया जाना दर्शित था।

लाइसेन्स शुल्क की दरों के सम्बन्ध में शा0सं0-2399/नौ-9-94-204(जनरल)/90 दिनांक 27.10.94 लाइसेन्स की दरों की सूची में क्रमांक-9 पर अंकित रेस्टोरेन्ट की दर रू0 600.00 से रू0 1800.00 तक निर्धारित थी जबकि लाइसेन्स शुल्क रू0 50.00 की दर से बनाया गया था। उक्त शासनादेश के साथ संलग्न लाइसेन्स दरों की सूची के क्रमांक-15 एवं 16 पर खाद्य पदार्थ की छोट स्तर की मिठाई एवं अन्य सामग्री की दुकानों हेतु रू0 500.00 से 3000.00 तक तथा चाट बताशा(पानी पुरी) की दुकानों पर रू0 250.00 से 1000.00 तक निर्धारित है, जबकि लाइसेन्स शुल्क रू0 10.00 से बनाया गया था जो उक्त शासनादेश के प्रतिकूल था। यदि उक्त शासनादेश के साथ संलग्न दर सूची के उपरोक्त दर्शित न्यूनतम दर के अनुसार बनाये जाते तो पालिका को प्राप्त आय की स्थिति निम्नानुसार होती-



क्र०	मद का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		ला० भ०	प्राप्त राशि	ला० भ०	प्राप्त राशि	ला० भ०	प्राप्त राशि
1.	खाद्य पदार्थ 500 प्रति न्यूनतम	382	191000	371	185500	948	474000
2.	होटल उपविधि के अन्तर्गत होटल/रेस्टो रेन्ट/उच्च श्रेणी की मिठाई की दुकानें 600 प्रति न्यूनतम	194	116400	189	113400	280	168000

शासनादेश के न्यूनतम दर के सापेक्ष उक्त मदों के लाइसेन्स बनाने में कम प्राप्त की गयी धनराशि की स्थिति—

क्र०	मद का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		प्राप्त राशि	प्राप्त होनी चाहिए	प्राप्त राशि	प्राप्त होनी चाहिए	प्राप्त राशि	प्राप्त होनी चाहिए
1.	खाद्य पदार्थ	3820	191000	3710	185500	9480	474000
	कम/अन्तर	187180		181790		464520	
2.	होटल उपविधि के अन्तर्गत	9450	116400	9450	113400	14000	168000
		106950		103950		154000	

वर्ष	कुल क्षति खाद्य पदार्थ में	कुल क्षति होटल उपविधि में	छोनों की कुल क्षति
2015-16	187180.00	106950.00	833490.00
2017-18	181790.00	103950.00	—
2018-19	464520.00	154000.00	364900.00
	833490.00	364900.00	1198390.00

शासनादेशानुसार उक्त मदों के लाइसेन्स के बनाये जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है जिससे पालिका को हो रही क्षति रू० 1198390.00 को बचाया जा सके।

e-s (3) वाहनों की मरम्मत कार्यों की मरम्मत कार्यों की पुष्टि हेतु लागबुक प्रस्तुत न होने से मरम्मत कार्य पर हुआ व्यय रू० 1,75,230.00 अनियमित/संदिग्ध तथा वाहनों की सर्विस एवं धुलाई का दोहरा व तिराहा भुगतान होने से कार्य संदिग्ध —: वर्ष 2017-18 के व्यय प्रमाणक संख्या-77 दिनांक 07.12.2017 की जांच से प्रकाश में आया कि मै० चौधरी कान्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स घटिया अजमत अली इटावा को पालिका वाहनों की मरम्मत हेतु बिल सं०-33 से 49 तक दिनांक 10.11.2017 कुल भुगतान रू० 175230.00 किया गया था। सभी 17 बिल मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा दिनांक 10.11.17 को प्रमाणित किये गये थे। उक्त बिलों के साथ बिल में दर्शित वाहन की खराब होने सम्बन्धत सक्षम स्तर की तकनीकी रिपोर्ट संलग्न नहीं थी जिससे वाहन खराब की



पुष्टि न हो सकी। किसी भी बिल के साथ वाहन चालक की भी वाहन खराब होने की आख्या भी संलग्न न थी। पालिका में वाहन पंजिकायें अनुरक्षित नहीं थी जिससे वाहनों के इतिहास समय-समय पर करायी गयी मरम्मतों में बदली गयी सामग्री आदि का कोई व्यौरा उपलब्ध न हो सका। वाहन पंजिका अनुरक्षित न होने से एक ही वाहन में एक कार्य हेतु अनेक बार भुगतान होने की सम्भावना दृष्टिगत थी। वाहन का मरम्मत कार्य परिवहन विभाग द्वारा पंजीकृत गैराज से न कराकर ठेकेदार फर्म से कराया गया था। वाहनों के मरम्मत करने वाली फर्म निर्माण कार्यों से सम्बन्धित था जिसकी पुष्टि फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों से हुयी। उक्त ठेकेदार फर्म के बिलों में वाहन की मरम्मत करने का उल्लेख न था। फर्म द्वारा प्रस्तुत मरम्मत बिलों पर वाहन चालक द्वारा मरम्मत कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। मरम्मत कार्य में अनेक स्पेयर पार्ट्स, इंजन आयल आदि बदलने का कार्य दर्शित था। उक्त फर्म मरम्मत हेतु अधिकृत न होने से इंजन आयल एवं स्पेयेयर पार्ट्स आदि बदलने की पुष्टि नहीं हुयी क्यों कि पुराने पार्ट्स की वापसी अथवा उसके मूल्य का समायोजन बिल दर्शित न था। वाहन मरम्मत के बिलों पर वाहन की लागबुक में मरम्मत के बिलों पर वाहन की लागबुक में मरम्मत सम्बन्धी प्रविष्टि भी न की गयी थी। उक्त दर्शित साक्ष्य के अनुसार वाहन के मरम्मत होने की पुष्टि नहीं हुयी थी। इस वाहनों की लागबुकों में प्रस्तुतीकरण न होने से वाहनों की मरम्मत पर हुये व्यय रू0 175230.00 की पुष्टि न हो सकी। उक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि न होने से संदिग्ध भुगतान का प्रकरण हो सकता है। एक ही वाहन में एक ही दिन एक ही कार्य का भुगतान निम्नानुसार दर्शित है जो वाहनों के मरम्मत कार्य को संदिग्ध होने में बल प्रदान करता है।

क्र0	वाहन संख्या	बिल सं0/दिनांक	फर्म का नाम	मरम्मत कार्य मद का विवरण	कार्य हेतु किया गया भुगतान	
1.	लोडर नं0-4	46/10/11/17	मै0चौधरी कान्सट्रक्शन	सर्विस चार्ज	1800	एक ही कार्य हेतु भुगतान
2.	—"---	45/10/11/17	—"---	—"---	1800	भुगतान
3.	टैक्टर यू0जी0 75 जी0-0132	43/10/11/17	—"---	धुलाई एवं लेवर चार्ज	2000	एक ही कार्य हेतु भुगतान
4.	—"---	44/10/11/17	—"---	—"---	2100	भुगतान
5.	—"---	42/10/11/17	—"---	—"---	2100	

उपरोक्त विवरण में दर्शित स्थिति से स्पष्ट है कि एक ही कार्य हेतु फर्म को दोहरा एवं तिराहा भुगतान किया गया था। जो एक ओर कार्य होने की संदिग्धता को बल देता है। इस प्रकार उक्त विवरण के अनुसार फर्म को उक्त दर्शित कार्य हेतु 6000.00(1800+2100+2100) का अधिक भुगतान किया गया।

*प.२* (4) शासनादेश में दर्शित दर से कम दर पर नर्सिंग होम/अस्पतालों के लाइसेन्स बनाने से पालिका को रू0 10,44,000.00 की आर्थिक क्षति :- पालिका लाइसेन्स अनुभाग की सम्परीक्षा में प्रकाश में आया कि शा0सं0-2399/नौ-9-94-204 जनरल/90 दिनांक 27.10.94, शा0 सं0-18 वन/नौ-9-97-23ज/97 दिनांक 09/06/197 के क्रम में निर्गत शा0 सं0-161 सी0 एम0/नौ-9-97 दिनांक 16.12.97 द्वारा स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अस्पतालों/नर्सिंग होम पर लाइसेन्स शुल्क निम्नानुसार आरोपित किया गया था-



क्रमांक	विवरण	दर रू०
1.	नर्सिंग होम 20 बेड तक	2000.00
2.	नर्सिंग गृह 20 बेड के ऊपर	5000.00
3.	प्रसूति गृह 20 बेड तक	4000.00
4.	प्रसूति गृह 20 बेड के ऊपर	5000.00
5.	प्राइवेट अस्पताल	5000.00
6.	पैथालाजी सेन्टर	1000.00
7.	एक्सरे क्लीनिक	2000.00
8.	डेंटल क्लीनिक	4000.00
9.	प्राइवेट क्लीनिक	3000.00

उक्त के सम्बन्ध में इण्डियन मेडिकल एसोशियेशन द्वारा अस्पतालों/नर्सिंग होम पर लगाये जाने वाले लाइसेन्स शुल्क को स्थगित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट सं०-18373/2000 में दिये गये अन्तरित स्टे आर्डर के आधार पर शा० सं०-213-एम/नौ-9-23 ज/9 एस० टी० सी०-2 दिनांक 14.12.2001 लाइसेन्स वसूली अग्रेत्तर आदेश तक स्थगित रखने के निर्देश दिये गये थे। उक्त रिट मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2006 द्वारा खारिज (अपास्ट) कर दी गयी थी जिसके अनुपालन में शा० सं०-445/9-9-14-23ज/97 टी० सी० दिनांक 30.05.2014 द्वारा शासनादेश दिनांक 24.12.2001 द्वारा लाइसेन्स शुल्क स्थगित किये जाने के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर शासनादेश दिनांक 10.12.97 द्वारा नर्सिंग होम/अस्पतालों पर निर्धारित शुल्क की वसूली को तुरन्त प्रभाव से पुनः लागू किये जाने के आदेश दिये गये थे जिसके अनुपालन में पालिका द्वारा दिनांक 30.06.2014 को समाचार पत्र अमर उजाला तथा हिन्दुस्तान में इस आशय की विज्ञप्ति करायी थी। उक्त के अनुसार वर्ष 2014-15 में उक्त मदों के लाइसेन्स बनाये जाने थे किन्तु निम्नांकित विवरण में दर्शित वर्षों लाइसेन्स बनाये गये थे जिनके अभिलेख सम्परीक्षा उपलब्ध हुये थे-

क्र०	मद का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		ला० भ०	प्राप्त आय	ला० भ०	प्राप्त आय	ला० भ०	प्राप्त आय
1.	नवीन लाइसेन्स उपविधि के अन्तर्गत नर्सिंग होम/अस्पतालों आदि सम्बन्धित	103	487400	104	467500	103	405700

मुख्य चिकित्साधिकारी इटावा की सूची (पत्रांक-4332 दिनांक 15.07.14 के अनुसार) नगरीय क्षेत्र में कुल 2019 मेडिकल संस्थान थे। उसके उपरान्त अद्यतन पालिका द्वारा नवीन सूची के सम्बन्ध में कोई पत्राचार भी नहीं किया था। अतः पत्राचार नवीन सूची प्राप्त की जाय। उक्त संस्थाओं के लाइसेन्स वृद्धि के सम्बन्ध में नगर पालिका द्वारा कोई प्रयास नहीं कराया गया जैसा उपर्युक्त दृष्टिगत है। विगत सूची अनुसार कुल 116 संस्थायें (219-103) लाइसेन्स शुल्क के बाहर हैं। अतः उपर्युक्त 116 प्रतिष्ठानों को लाइसेन्स के दायरे में लाया जाना अपेक्षित है। उक्त के अतिरिक्त उपर्युक्त दर्शित मदों के प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी इटावा से सूची मंगवाई जाय और तत्कम में कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। तथा पालिका को प्रश्नगत



प्रतिष्ठानों के लाइसेन्स न बनाये जाने से हो रही प्रति वर्ष आर्थिक क्षति रू0 348000.00 (116×3000) औसतन कुल तीन वर्षों की रू0 1044000.00 को बचाया जा सके।

**(5) 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्मित सड़क एवं नाली निर्माण कार्य में ठेकेदार फर्म को रू0 2,51,858.00 का अधिक भुगतान :-** मुहल्ला गामा देवी कालोनी से गैस गोदाम रोड पर सेंगर व अंकित वाली गली में सड़क व नाली निर्माण कार्य सम्बन्धित पत्रावली एवं माप पुस्तिका की जाँच में प्रकाश में आया कि मै0 राजेश कुमार सक्सेना निवासी 53, करमगंज इटावा की उक्त कार्य की अनुमानित मूल्य निविदा राशि रू0 4402517.00 से 21.58 प्रतिशत निम्न पर निविदा राशि रू0 3452454.00 न्यूनतम निविदा होने के कारण स्वीकार की गयी थी। उक्त स्वीकृत निविदा अनुसार उक्त ठेकेदार फर्म को पालिका के कार्यादेश पत्रांक-71/ज0 नि0 वि0/03/10/17 दिनांक 16.10.17 द्वारा कार्य हेतु आदेश निर्गत किया गया था। उक्त कार्य अनुमान में दर्शित मद कान्सट्रक्शन आफ ग्रेनूलर सबन्वेस वाई प्रोवाइडिंग कोर्स ग्राडिड मैटेरियल कार्य होना प्रस्तावित था।  $1 \times 2, 210.00 \times 7.60 \times 0.125 = 399$  घन मी0 माप पुस्तिका पर उक्त मद में 192 मी0 लम्बी सड़क पर कुल कृत कार्य 354.60 मी0 किया गया, दर्शित था। जबकि अनुमान में दर्शित उक्त मद की माप कम में 263.97 घन मी0 कार्य देय था। (विस्तृत विवरण रफशीट पर दर्शित है।)

इस प्रकार उक्त मद में 90.63 घन मी0 (354.60 घन मी0 (-) 263.97 घन मी0) कार्य माप पुस्तिका पर अधिक दर्शित किया गया था जिसका भुगतान रू0 251858.00 (90.63 घन मी0 × दर रू0 3543/70 से कम रू0 321166.00 (-) 21.58 निम्न निविदा रू0 69308.00) ठेकेदार फर्म को अनियमित रूप से अधिक कर दिया गया था। उक्त के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति सम्परीक्षा समाप्त तिथि तक अपस्ट रही। अतः अनियमित अधिक भुगतान रू0 251858.00 की वसूली उत्तरदायी से कराये जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त कार्य के सम्बन्ध में ठेकेदार फर्म को चैक सं0-530158 दिनांक 01.12.2017 रू0 900231.00 तथा चैक संख्या-955915 दिनांक 18.04.18 रू0 1577977.00 किया गया।

**(6) अवस्थापना निधि के अन्तर्गत कराये गये इण्टरलाकिंग सड़क नाली एवं स्लैब निर्माण कार्य में रू0 1,06,392.00 अनियमित अधिक भुगतान :-** मुहल्ला आजाद नगर टीला में मदरसा वाली गली में इण्टरलाकिंग सड़क नाली एवं स्लैब निर्माण कार्य की पत्रावली एवं माप पुस्तिका की जाँच से प्रकाश में आया कि मै0 ऊषा चौहान की उक्त कार्य की अनुमानित मूल्य की निविदा राशि रू0 809425.00 से 16.52 प्रतिशत निम्न रू0 675708.00 की निविदा न्यूनतम होने के कारण स्वीकार की गयी थी। पालिका के कार्यादेश संख्या-106/ज0मि0वि0/03.10.17 दिनांक 16.10.2017 द्वारा उक्त कार्य हेतु उपरोक्त ठेकेदार फर्म को कार्यालय अहादेश निर्गत किया गया था। उक्त कार्य से सम्बन्धित अनुमान में दर्शित विभिन्न मदों के कार्य के सापेक्ष कृत कार्य की जाँच से ज्ञात हुआ कि अनुमान दर्शित मद प्रथम श्रेणी ब्रिक इन 1:3 सीमेन्ट एण्ड कोर्स सैण्ड इन फाउण्डेशन के कार्य 10 घन मी0 के सापेक्ष कृत कार्य 32.88 घन मी0 कराया जाना माप पुस्तिका पर दर्शित था। अनुमान में दर्शित अन्य विभिन्न मदों के कार्यों के सापेक्ष कृत कार्य में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुयी थी। उक्त कृत कार्य में अनुमान के सापेक्ष अधिक कराये गये कार्य 22.88 घन मी0 के सम्बन्ध में कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया था और न ही अनुमोदन पत्रावली पर दर्शित था। इस प्रकार उक्त कार्य के अनुमान में दर्शित मात्रा के सापेक्ष अधिक कराये गये कार्य 22.88 घन मी0 × दर रू0 4650.00 से रू0 106392.00 अनियमित अधिक भुगतान प्रथम दृष्टया



परिलक्षित हुआ। तकनीकी नियमानुसार निर्माण कार्यों में विचलन देय नहीं है। उक्त अनियमित अधिक भुगतान के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जा अन्यथा स्थिति में नियमानुसार अनियमित अधिक उक्त भुगतान की वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

(7) <sup>14</sup> वें वित्त आयोग के अनुदान के अन्तर्गत निर्मित सड़क व नाली के निर्माण कार्य में **रु0 99,189.00 का अधिक भुगतान :-** मुहल्ला गामा देवी कालोनी से गैस गोदाम रोड पर सेंगर व अंकित वाली गली में सड़क व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं माप पुस्तिका की सम्परीक्षा में प्रकाश में आया कि मै0 राजेश कुमार सक्सेना निवासी 53 करमगंज इटावा की उक्त कार्य की अनुमानित मूल्य निविदा राशि रु0 4402517.00 से 21.58 प्रतिशत निम्न पर निविदा राशि रु0 3452454.00 न्यूनतम निविदा होने के कारण स्वीकार की गयी थी। उक्त निविदा स्वीकृत के अनुसार उक्त ठेकेदार को पालिका कार्यदेश संख्या-71/ज0नि0वि0/10/17 दिनांक 16.10.17 द्वारा उक्त कार्य आदेश निर्गत किया गया था। उक्त कार्य के अनुमान में दर्शित मद अर्थ वर्क इम्बैकमेन्ट मैकेनिकली कम्पैक्टेड टू 95 प्रतिशत प्राक्टर डेनिसिटी में निम्नानुसार कार्य कराया जाना दर्शित था-

$1 \times 1 \ 210.00 \times 7.60 \times 0.90 = 1436.40$  घनमी0 अर्थात 1440.00 घन मी0

माप पुस्तिका पर उक्त कार्य निम्नानुसार कराया गया दर्शित था।-192 मी0 सड़क पर कृत कार्य-

$1291.45 \times (\text{ल0} \times \text{च0}) \times \text{ऊ0}$	$(1.30+1.60)/2$	1872.60 घन मी0
	घटाया-12.5 प्रतिशत सैटिलमेन्ट	234.07 घन मी0
		1638.53 घन मी0

कृत कार्य 1638.53 घन मी0 का भुगतान 265/60 प्रति घन मी0 से रु0 435193.56 द्वितीय रनिंग बिल तक किया गया था।

उक्त कार्य की अनुमान दर्शित गहराई/ऊँचाई से 0.55 मी0 (1.45-.09) अधिक गहराई/ऊँचाई में कार्य कराया गया था जो अनियमित था। अधिक गहराई/ऊँचाई में उक्त कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी का कोई अनुमोदन पत्रावली में दर्शित नहीं पाया गया।

इस प्रकार उक्त कृत कार्य को अनुमान में दर्शित गहराई/ऊँचाई से अधिक कराने के फलस्वरूप ठेकेदार फर्म को निम्नानुसार अधिक भुगतान किया गया था :-

अनुमान में दर्शित गहराई/ऊँचाई के अनुसार कार्य का भुगतान होना चाहिए	कृत कार्य जिसका भुगतान किया गया	अन्तर/अधिक कार्य
$1291.45 \times 0.90 / 1162.31$ घन मी0	1638.53 घन मी0	476.22 घन मी0

$476.22 \text{ घन मी0} \times 265.60 \text{ प्रति घन मी0} = \text{रु0 } 126484.00$  (-) 21.58 प्रतिशत निम्न निविदा रु0 27295.00 रु0 99189.00 शुद्ध अधिक भुगतान ठेकेदार फर्म को किया गया। उक्त के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति सम्परीक्षा समाप्त तिथि तक अस्पष्ट रही। अतः अधिक भुगतान की वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त कार्य हेतु ठेकेदार फर्म को बैंक सं0-530158 दिनांक 01.12.2017 रु0 900231.00 (वा0 सं0-02) तथा बैंक सं0-955915 दिनांक 18.04.18 रु0 1577977.00 द्वारा भुगतान किया गया था।



**AC/86** (8) 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्मित सड़क व नाली के निर्माण कार्य में **रु0 95,471.00 का अधिक भुगतान :-** मुहल्ला गामा देवी कालोनी से गैस गोदाम रोड पर सेंगर व अंकित वाली गली में सड़क व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं माप-पुस्तिका की सम्परीक्षा में प्रकाश में आया कि मै0 राजेश कुमार सक्सेना निवासी 53 करमगंज इटावा की उक्त कार्य की अनुमानित मूल्य निविदा राशि रु0 4402517.00 से 21.58 प्रतिशत निम्न पर निविदा राशि रु0 3452454.00 न्यूनतम निविदा होने के कारण स्वीकार की गयी थी। उक्त निविदा स्वीकृत के अनुसार ठेकेदार फर्म को पालिका के कार्यादेश संख्या-71/ज0 नि0 वि0/03/10/10 दिनांक 16.10.17 द्वारा उक्त कार्य हेतु आदेश निर्गत किया गया था। उक्त कार्य की माप पुस्तिका की जाँच से ज्ञात हुआ कि माप पुस्तिका पर मद कान्सट्रक्शन आफ ग्रेनूलर सबवेस कार्य की स्थिति निम्नानुसार थी-

मापपुस्तिका पर दर्शित उक्त कार्य की मात्रा			कार्य की वास्तविक मात्रा होनी चाहिए
1. अर्थ वर्क जो हुआ	1291.45 वर्ग मी0		1291.45 वर्ग मी0
2. अर्थ वर्क जो माप पुस्तिका के अनुसार नहीं हुआ	168.00 वर्ग मी0		-
	1459.45 वर्ग मी0	घटाया -अर्थ वर्क जो 192 मी0 लम्बाई में हुआ	1291.45 वर्ग मी
घटाया-1×2 220.20 × 0.58	255.43 वर्ग मी0	192× 0.58× 1× 2	222.72 वर्ग मी0
	1204.02 वर्ग मी0		1068.73 वर्ग मी0

मापपुस्तिका पर दर्शित मद प्रोवाइडिंग एण्ड लेइंग आफ रूबल मालडिड जिग चोग इण्टर लाकिंग कंकीट ब्लाक पेवमेन्ट

उक्त कार्य का माप पुस्तिका पर दर्शित भुगतान	वास्तविक कार्य का भुगतान देय है।
1204 वर्ग मी0×दर 900 प्रति वर्ग मी0 रु0 1083600.00	1068.73 वर्ग मी0×दर रु0 900 प्रति वर्ग मी0 रु0 961857.00
अन्तर/अधिक भुगतान .1083600.00(-)961857.00/रु0 121743.00	
घटाया-21.58 प्रतिशत निम्न निविदा	रु0 26272.00
शुद्ध अधिक भुगतान रु0	95471.00

इस प्रकार उक्त कार्य में ठेकेदार फर्म को रु0 95471.00 का अधिक भुगतान हुआ था। उक्त अधिक भुगतान के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति सम्परीक्षा तिथि तक अस्पष्ट रही। अतः उक्त अधिक भुगतान की वसूली उत्तरदायी से कराये जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त कार्य हेतु ठेकेदार फर्म को चैक संख्या-955915 दिनांक 18.04.17 रु0 1577977.00 किया गया था।

**AC/86** (9) 14 वें वित्त आयोग से कराये गये इण्टरलाकिंग सड़क, नाली एवं स्लैब के निर्माण कार्य में ठेकेदार फर्म को रु0 62,047.00 का अधिक भुगतान :- मुहल्ला आदर्श कालोनी मुन्नी का



अड्डा में सरैया रोड से बाथम के मकान तक इण्टर लाकिंग सड़क नाली एवं स्लैब निर्माण कार्य की पत्रावली एवं माप पुस्तिका की जाँच से प्रकाश में आया कि ललित ट्रेडर्स की उक्त कार्य की अनुमानित मूल्य की निविदा राशि रू0 2700877.00 से 22.10 प्रतिशत निम्न रू0 2103983.00 की निविदा न्यूनतम होने के कारण स्वीकार की गयी थी तथा नगर पालिका परिषद के कार्यालय आदेश संख्या-37/ज0नि0वि0/13.10.2017 द्वारा उक्त ठेकेदार को कार्यादेश निर्गत किया गया था। उक्त कार्य के अनुमान में दर्शित मद अर्थ वर्क इन इम्बैंकमेन्ट मैकेनिकली कम्पैक्टेड टू 95 प्रतिशत प्राक्टर डेनिसिटी में एक कार्य  $170 \times 5.50 \times 0.90 = 841.50$  घन मी0 अर्थात 842 घन मी0 कार्य होने का प्रस्ताव दर्शित था। माप पुस्तिका पर उक्त कृत कार्य में गहराई/ऊँचाई 1.40 मी0 के अनुसार कुल कृत कार्य को 1085.16 घन मी0 दर्शित किया गया था जबकि अनुमान दर्शित गहराई/ऊँचाई 0.90 मी0 के अनुसार कृत कार्य 785.277 घन मी0 देय होना चाहिए था। इस प्रकार उक्त की मद में माप पुस्तिका 299.883 घन मी0 कार्य (1085.16 घन मी0(-) 785.277 घन मी0) अधिक दर्शित किया गया था। अनुमान के सापेक्ष कृत कार्य में अधिक गहराई/ऊँचाई लेने के सम्बन्ध में पत्रावली पर न तो कोई साक्ष्य संलग्न किया गया था और न ही कोई टिप्पणी को दर्शित किया गया। अतः कृत कार्य में अधिक गहराई/ऊँचाई दर्शित किया जाना औचित्य पूर्ण न था। इस प्रकार 299.883 घन मी0 अधिक कार्य का भुगतान रू0 62047.00 (299.883 घन मी0 × दर 265.60 से रू0 79649.00(-) 22.10 प्रतिशत निम्न निविदा रू0 17602.00) ठेकेदार फर्म अनियमित रूप से कर दिया गया था। उक्त अधिक भुगतान रू0 62047.00 के सम्बन्ध में वस्तु स्थिति सम्परीक्षा समाप्त तिथि तक अस्पष्ट रही। अतः उक्त अधिक भुगतान की वसूली उत्तरदायी से कराये जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त कार्य के सम्बन्ध में ठेकेदार फर्म को चैक संख्या- 530163 दिनांक 01.12.2017 (वा0 सं0-09) रू0 1160986.00 किया गया था।

**(10) 14 वें वित्त आयोग के अनुदान से कराये गये इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य में रू0 35,825.00 का अनियमित अधिक भुगतान :-** मुहल्ला ओम पुरम कालोनी में अड्डा वाया वम्बा से शैलेन्द्र यादव से मेनरोड तक इण्टरलाकिंग सड़क नाली एवं स्लैब निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं माप पुस्तिका की जाँच से प्रकाश में आया कि मै0 हरिओम की उक्त कार्य की अनुमानित मूल्य निविदा राशि रू0 2295710.00 से 24.59 प्रतिशत निम्न निविदा राशि रू0 1731195.00 न्यूनतम निविदा राशि होने से स्वीकार की गयी थी। पालिका कार्यालय आदेश संख्या-20/ज0नि0वि0/13.10.2017 दिनांक 16.10.2017 द्वारा उक्त ठेकेदार फर्म को उपरोक्त कार्य हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया था। उक्त कार्य के अनुमान में दर्शित मद अर्थ वर्क इन इम्बैंकमेन्ट मैकेनिकली कम्पैक्टेड टू 95 प्रतिशत प्राक्टर डेनिसिटी में निम्नानुसार कार्य कराया जाना दर्शित था।

1×1 88.00×6.50×0.85	486.20 घन मी0
1×1 42.00×6.10×0.95	243.39 घन मी0
सड़क ल0 130 मी0	योग 729.59 या 730 घन मी0

माप पुस्तिका के पृष्ठ 5 पर दर्शित मेजरमेन्ट में कृत कार्य की स्थिति निम्नानुसार दर्शित थी।-

129 मी0 सड़क पर 801.34(ल0×च)×ऊँ 1.40	1121.87 घन मी0
घटाया- सैटिलमेन्ट	140.23 घन मी0



	981.60 घन मी०
--	---------------

मापपुस्तिका के पृष्ठ-1 पर कृत कार्य में सड़क लम्बाई 133 मी० तथा पृष्ठ-5 पर 129 मी० थी। अनुमान में दर्शित लम्बाई के सापेक्ष विचलन था। माप पुस्तिका के पृष्ठ-5 पर दर्शित निम्नानुसार दर्शित था-

129 मी० सड़क पर (ल०×च) 801.34×ऊँ 1.40 मी०	1121.87 घन मी०
घटाया- सैटिलमेन्ट	140.23 घन मी०
	981.64 घन मी०

मापपुस्तिका पर भुगतान 900 घन मी० का किया गया था।

उक्त कार्य के अनुमान में गड़राई/उचाई 0.90 दर्शित थी जबकि कृत कार्य में 1.40 दर्शित की गयी थी जो अनुमान के सापेक्ष 0.50 मी० अधिक थी जो अनुमन्य न थी। इस प्रकार उक्त कार्य में कृत कार्य का निम्नानुसार भुगतान देय है-

ल० 129 मी० सड़क पर (ल०×च) 801.34×0.90 (ऊ०) = 721.20 घन मी०

उक्तानुसार उक्त कार्य में ठेकेदार फर्म को रू० 35825. (900.00 घन मी० (-) 721.20 मी०= 178.80 घन मी०×दर रू० 265.70=47507.00(-) 24.59 प्रतिशत निम्न निविदा रू० 11682.00) का अधिक भुगतान कर दिया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाय अन्यथा अनियमित अधिक भुगतान की वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

उक्त कार्य का भुगतान ठेकेदार फर्म को बैंक संख्या-530149 दिनांक 24.11.2017 रू० 1067159.00 (वा० सं०-07) रू० 351265.00 किया गया था।

**(11) 14 वें वित्त आयोग से कराये गये इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण में रू० 33,784.00 का अनियमित अधिक भुगतान :-** मुहल्ला ओमपुरम कालोनी में अड़डा वाया बम्बा से शैलेन्द्र यादव से मेनरोड तक इण्टरलाकिंग सड़क, नाली एवं स्लैब निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं माप पुस्तिका की जाँच से प्रकाश में आया कि मै० हरिओम की उक्त कार्य की अनुमानित मूल्य निविदा राशि रू० 2295710.00 से 24.59 प्रतिशत निम्न निविदा राशि रू० 1731195.00 न्यूनतम निविदा होने के कारण स्वीकार की गयी थी। पालिका कार्यादेश संख्या-20/ज०नि०वि० /13.10.2017 दिनांक 16.10.17 द्वारा ठेकेदार फर्म को उक्त कार्य के अनुमान में दर्शित मद प्रोवाइडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट एण्ड कंकीट इन एम-15 में 23 घन मी० कार्य होना दर्शित था। जबकि अनुमान में दर्शित कार्य के सापेक्ष उक्त मद के कार्य में 30 घन मी० का कार्य कराया गया जिसका भुगतान द्वितीय रनिंग बिल के भुगतान में दर्शित है। अनुमान में दर्शित विभिन्न मदों के कार्य के सापेक्ष उक्त मद के कार्य को छोड़कर अन्य मदों के कार्य में बढोत्तरी परिलक्षित नहीं हुयी। उक्त मद के अनुमान में दर्शित कार्य के सापेक्ष कृत कार्य में 07 घन मी० (30-23) की बढोत्तरी के सम्बन्ध में कोई कारण पत्रावली पर दर्शित न था। उक्त कृत कार्य में 07 घन मी० कार्य का विचलन के कार्य का भुगतान रू० 33784.00 (07 घन मी०×दर रू० 6400.00 प्रति घन मी० =44800.00 (-) 24.59 प्रतिशत निम्न निविदा रू० 11016.00 रू० 33784.00) अनियमित अधिक पाया गया। तकनीकी दृष्टिकोण से निर्माण कार्यों में विचलन देय नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाय अन्यथा अनियमित अधिक भुगतान रू० 33784.00 की वसूली उत्तरदायी से कराये जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त कार्य हेतु ठेकेदार फर्म को



चैक संख्या-530149 दिनांक 24.11.2017 रू0 1067159.00 तथा चैक संख्या-530161 दिनांक 01.12.2017 रू0 351263.00 किया गया था।

**(12)** 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से निर्मित इण्टरलाकिंग सड़क नाली एवं स्लैब निर्माण कार्य में रू0 21,387.00 का अधिक भुगतान :- मुहल्ला आवास विकास में शान्ती देवी वाली गली में इण्टरलाकिंग सड़क, नाली एवं स्लैब निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं माप पुस्तिका की जाँच से प्रकाश में आया कि मै0 दिलीप गुप्ता, निवासी 84 करमगंज इटावा को उक्त कार्य की अनुमानित मूल्य निविदा राशि रू0 555780.00 से 26.58 प्रतिशत निम्न निविदा राशि रू0 408054.00 न्यूनतम निविदा राशि होने के कारण स्वीकार की गयी थी। उक्त स्वीकृत निविदा के अनुसार ठेकेदार फर्म को पालिका के कार्यादेश संख्या-22/ज0नि0वि0/03.10.17 दिनांक 16.10.17 द्वारा उक्त कार्य हेतु आदेश निर्गत किया गया था। उक्त कार्य के अनुमान में दर्शित मद कान्सट्रक्शन आफ ग्रेनूलर सबबेस वाई प्रोवाइडिंग कोर्स ग्रेडिड मैटेरियल में निम्नानुसार कार्य कराया जाना प्रस्तावित था :-

$$1 \times 2 \ 38.00 \times 6.00 \times 0.125 = 57.00 \text{ घन मी0}$$

जबकि मापपुस्तिका पर दर्शित स्थिति में 35 मी0 सड़क पर कृत कुल कार्य 49.96 का भुगतान रू0 3543.70 प्रति घन मी0 रू0 177043.25 माप पुस्तिका पर दर्शित था जबकि उक्त कार्य की मद का भुगतान निम्नानुसार देय था। उक्त मद का वास्तविक कार्य जिसका भुगतान देय था-

35 मी0 सड़क का अर्थ वर्क = $35 \times 5.37$	187.95 वर्ग मी0
घटाया- $1 \times 1 \ 35 \times 0.60$	21.00 वर्ग मी0
	166.95 वर्ग मी0

$$1 \times 2 \ 166.95 \text{ वर्ग मी0} \times 0.125 = 41.74 \text{ घन मी0 अन्तर/अधिक कार्य} = 49.96(-) \ 41.74 = 8.22 \text{ घन मी0}$$

इस प्रकार उक्त कार्य की मद में रू0 21387.00 (8.22 घन मी0 × दर रू0 3543.70. रू0 29129.00(-) 26.58 प्रतिशत निम्न निविदा रू0 7742.00 रू0 21387.00) का शुद्ध अधिक भुगतान ठेकेदार फर्म को किया गया था। उक्त अधिक भुगतान के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति सम्परीक्षा समाप्त तिथि तक अस्पष्ट रही। अतः उक्त अधिक भुगतान की वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त कार्य के सम्बन्ध में ठेकेदार फर्म को चैक संख्या-530141 दिनांक 24.11.2017 रू0 134526.00 (वा0 सं0-41) तथा चैक संख्या-530165 दिनांक 01.12.17 रू0 195837.00 (वा0 सं0-12) द्वारा भुगतान किया गया था।

**(13)** 14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्मित इण्टरलाकिंग सड़क, नाली एवं स्लैब निर्माण कार्य में ठेकेदार फर्म को रू0 8,409.00 का अनियमित अधिक भुगतान :- मुहल्ला आवास विकास में शान्ती देवी वाली गली में इण्टरलाकिंग सड़क, नाली एवं स्लैब निर्माण कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं माप पुस्तिका की जाँच से प्रकाश में आया कि मै0 दिलीप गुप्ता निवासी 84 करमगंज इटावा की उक्त कार्य की अनुमानित मूल्य निविदा राशि रू0 555780.00 से 26.58 प्रतिशत निम्न पर निविदा राशि रू0 408054.00 न्यूनतम निविदा राशि होने के कारण स्वीकार की गयी थी। उक्त स्वीकृत निविदा के अनुसार उक्त ठेकेदार फर्म को कार्यादेश पत्रांक-22/ज0नि0वि0/03.10.2017 दिनांक 16.10.2017 द्वारा कार्य हेतु आदेश निर्गत किया गया था। उक्त



कार्य के अनुमान के अनुमान में दर्शित मद अर्थ वर्क इन इम्बैकमेन्ट मैकेनिकली कम्पैक्टेड टू 95 प्रतिशत प्राक्टर डेनिसिटी में निम्नानुसार कार्य कराया जाना प्रस्तावित था:-

$1 \times 1 \ 38.00 \times 6.00 \times 0.60 = 136.80$  घन मी० अर्थात् 140.00 घन मी०

माप पुस्तिका पर उक्त मद का कार्य 147.45 घन मी० कराया जाना दर्शित था जो निम्नानुसार था-

$1 \times 1 \ 38 \times 5.23 \times 0.60$	119.24 घन मी०
घटाया- 12.5 प्रतिशत सैटिलमेन्ट	21.06 घन मी०
	147.45 घन मी०

जबकि अनुमान में दर्शित गहराई/ऊँचाई तथा कृत कार्य में दर्शित चौड़ाई कम में कार्य का निम्नानुसार देय था :-

$198.25 \times 0.85$	168.51 घन मी०
घटाया- 12.5 प्रतिशत सैटिलमेन्ट	14.91 घन मी०
	104.33 घन मी०

मापपुस्तिका पर दर्शित कृत कार्य का भुगतान	वास्तविक भुगतान होना चाहिए
$147.45$ घन मी० $\times$ दर 265.60 प्रति घन मी० = 39162.72	$104.33$ घन मी० $\times$ दर 265.60 प्रति घन मी० = 27710.05
अधिक / अन्तर = 39162.72 (+) 27710.05	11452.67
घटाया- 26.58 प्रतिशत निम्न निविदा	3044.12
रू०	8408.55

इस प्रकार उक्त कार्य में ठेकेदार फर्म को रू० 8409.00 का अधिक भुगतान कर दिया गया था। उक्त अधिक भुगतान के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति सम्परीक्षा समाप्त तिथि तक अस्पष्ट रही। अतः अधिक भुगतान की वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त कार्य हेतु ठेकेदार फर्म को बैंक संख्या-530141 दिनांक 24.11.17 द्वारा रू० 134526.00 (वा० सं०-41) तथा बैंक संख्या-530165 दिनांक 01.12.17 द्वारा रू० 195837.00 (वा० सं०-12) द्वारा भुगतान किया गया था।

*write arch* (14) श्री आनन्द स्वरूप, पम्प अटेन्डेन्ट का चिकित्सा अवकाश सक्षम प्राधिकारी से कम स्तर द्वारा की संस्तुति के आधार पर चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने से रू० 1,82,015.00 का अनियमित भुगतान :- श्री आनन्द स्वरूप, पम्प अटेन्डेन्ट का चिकित्सा अवकाश का भुगतान रू० 182015.00 व्यय प्रमाणक संख्या 33 दिनांक 05.12.17 द्वारा किया गया था श्री आनन्द स्वरूप के चिकित्सा अवकाश सम्बन्धी अभिलेखों की जाँच से प्रकाश में आया कि श्री आनन्द स्वरूप के दिनांक 25.12.16 से 11.07.17 तक बिना अवकाश प्रार्थना पत्र के अनुपस्थित थे। दिनांक 14.07.17 को श्री स्वरूप द्वारा अपने कार्यालय में मेडिकल एवं फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें चिकित्सक द्वारा दिनांक 25.12.16 से 11.07.17 तक मेडिकल अवकाश का उल्लेख किया गया था। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका इटावा द्वारा श्री आनन्द स्वरूप के उक्त चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति हेतु मेडिकल एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र को सत्यापन कराये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी इटावा को प्रेषित किया गया जिसकी संस्तुति मुख्य चिकित्सा



अधिकारी इटावा द्वारा कर दी गयी थी जो नियमानुसार अनियमित था। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 अध्याय-10 में दर्शित मूल नियम-81(ख)(2), मूल नियम-89, 90 तथा 91 के अनुसार 90 दिन तक चिकित्सा अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा इसे अधिक अवधि के चिकित्सा अवकाश के लिए चिकित्सा परिषद की संस्तुति के आधार पर चिकित्सा अवकाश देय है। श्री आनन्द स्वरूप द्वारा दिनांक 25.12.16 से 11.07.17 अर्थात् 199 दिवसों तक चिकित्सा अवकाश पर रहे जो 90 दिन से अधिक था। इस प्रकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति पर चिकित्सा अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता था। जिसकी स्वीकृति अधिशासी अधिकारी कार्यालय आदेश दिनांक 26.09.17 प्रदान की गयी थी जो अनियमित थी। श्री आनन्द स्वरूप का चिकित्सा अवकाश 199 दिवसों का था जिस हेतु चिकित्सा परिषद की संस्तुति नियमानुसार अपेक्षित थी जो नहीं ली गयी थी, अतः बिना सक्षम प्राधिकारी की संस्तुति के श्री आनन्द स्वरूप का 199 दिवसों का चिकित्सा अवकाश सक्षम प्राधिकारी की संस्तुति के श्री आनन्द स्वरूप, पम्प अटेन्डेन्ट का 199 दिवसों का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया जाना तथा इसका भुगतान रू0 182015.00 किया जाना अनियमित था। उक्त के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति ली जाय अन्यथा रू0 182015.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित होगा।

(2) अधिशासी अधिकारी द्वारा श्री आनन्द स्वरूप को दिनांक 25.08.17 को कार्य पर उपस्थित हुए थे। इस प्रकार श्री आनन्द स्वरूप दिनांक 12.07.17 से 24.08.17 तक (अर्थात् 44 दिवसों तक) किस प्रकार के अवकाश पर रहे, की स्थिति स्पष्ट की जाय तथा अनुमोदन प्रस्तुत किया जाय।

(3) श्री आनन्द स्वरूप के उक्त चिकित्सा अवधि के चिकित्सा एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र सम्बन्धी अभिलेख भी अप्रस्तुत रहे जिन्हें यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाय।

उक्त के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति सम्परीक्षा समाप्त तिथि तक अस्पष्ट रहें एवं वाञ्छित अभिलेख भी अप्रस्तुत रहे।

*Amr/AE*

(15) श्रीमती सोनी देवी अबिन प्लानर को वेतनादि का भुगतान रू0 76,063.00 अमृत योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान से किया जाना अनियमित :- अमृत योजनान्तर्गत अनुरक्षित रोकड़बर्ही की जाँच से प्रकाश में आया कि व्यय प्रमाणक संख्या-04 से रू0 27771.00 तथा व्यय प्रमाणक संख्या-5 से 48292.00 कुल रू0 76062.00 की निर्गत चैक सं0-782403/पी0 एन0 बी0 दिनांक 31.03.18 द्वारा श्रीमती सेनी देवी अबिन प्लानर को भुगतान किया गया था। उक्त भुगतान से सम्बन्धित श्री सोनी देवी की पत्रावली की जाँच से ज्ञात हुआ कि श्रीमती सेनी देवी की नियुक्ति निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/राज्य मिशन, निदेशालय (अमृत) उ0 प्र0 के कार्यालय पत्रांक-सा0सेल/23/अमृत/सी0एम0 एम0 यू0/चयन/2017-18 दिनांक 06 फरवरी 2018 के सन्दर्भ में नगर पालिका परिषद इटावा के अधिशासी अधिकारी तथा श्रीमती सोनी देवी के मध्य सो रूपये के स्टाम्प पेपर पर हुए दर्शित कान्ट्रेक्ट के संलग्न टर्म एवं कन्डीशन माध्यम से फिक्स टर्म के लिए रू0 45000.00 प्रतिमाह वेतन के रूप संविदा पर हुयी। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद इटावा द्वारा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/राज्यमिशन निदेशालय(अमृत) उ0 प्र0 8 वॉ तल इन्दिरा भवन अशोग मार्ग लखनऊ को प्रेषित पत्रांक-3103/सा0प्र0-अमृत-अर्बन प्लान/2017-18 दिनांक 23 फरवरी 2018 से परिलक्षित हुयी। प्रश्नगत पत्र के अनुसार श्रीमती सोनी देवी द्वारा नगर पालिका परिषद इटावा में दिनांक 12.02.18 को पूर्वाह्न में अपनी



योगदान आख्या प्रस्तुत की थी। श्रीमती सोनी देवी की नियुक्ति सम्बन्धी पत्रावली में अभिलेख अप्रस्तुत रहने से निम्नांकित कमियाँ दृष्टिगत हुयी।

(1) कार्यालय निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय/राज्य मिशन निदेशालय(अमृत)/उ० प्र० के कार्यालय पत्रांक-सा०सेल/23/अमृत/सी० एम० एम० यू०/चयन/2017-18 दिनांक 06 फरवरी 2018 मूलरूप में पत्रावली में संलग्न नहीं था। जिसे उपलब्ध कराया जाय।

(2) श्रीमती सेनीदेवी, अर्बन प्लानर के वेतनादि भुगतान किस मद देय होंगे की स्थिति अस्पष्ट दृष्टिगत हुयी। क्योंकि अमृत योजना में प्राप्त अनुदान का उपभोग किसी अन्य कार्य पर व्यय न किये जाने का उल्लेख है। जबकि श्रीमती सोनी देवी का भुगतान उक्त योजना में प्राप्त अनुदान की धनराशि से किया गया है। अतः उक्त क्रम में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाय।

(3) श्रीमती सोनी देवी, अर्बन प्लानर के वेतनादि का भुगतान उपस्थिति आधार या कार्य परफारमेन्स के आधार पर किया जायेगा की स्थिति स्पष्ट की जाय।

(4) अमृत योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान सम्बन्धी कार्य अभी तक प्रारम्भ न हुए है। वेतनादि के भुगतान अवधि में उनके द्वारा किये गये कार्य के परफारमेन्स की स्थिति स्पष्ट न होने वेतनादि का भुगतान संतोषजनक प्रतीत नहीं हो रहा है।

उक्त के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति सम्परीक्षा समाप्त तिथि तक अप्रस्तुत रही।

Accd (16) शासन को अनानुमोदित संविदा कर्मियों का भुगतान रू० 65,86,178.00 राज्य वित्त आयोग के अनुदान से किया जाना अनियमित :- सम्परीक्षा में ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित व्यय प्रमाणकों द्वारा संविदा कर्मियों का भुगतान राज्य वित्त आयोग से किया गया था-

क्र०	व्यय प्रमाणक संख्या/दिनांक	धनराशि	माह
1.	73/07/12/2017	2216753.00	वेतन भुगतान अक्टूबर 2017
	125/26/12/2017	51489.00	आयकर कटौती
	कुल रू० योग	2268242.00	
2.	74/07/12/2017	4219919.00	वेतन भुगतान नवम्बर 2017
	126/26/12/2017	98017.00	आयकर कटौती
	कुल योग	4317936.00	

क्रमांक-2 पर दर्शित व्यय प्रमाणक द्वारा 436 श्रमिकों का कुल कार्य दिवसों 12562×दर रू० 343.73=4317936.26 का भुगतान का आगणन है। उक्त श्रमिकों से सेनेटरी कार्य को कराया जाना दर्शित किया गया था। उक्त भुगतान से सम्बन्धित बिल संख्या-21 दिनांक 05.12.2017 मै० मुहम्मद इकबाल, मडैया ख्यालीराम इटावा द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

क्रमांक-1 पर दर्शित व्यय प्रमाणक से 379 श्रमिकों का माह अक्टूबर 2017 में कुल श्रमिक दिवसों 10972 का दर रू० 206.73 से रू० 2268242.00 का व्यय दर्शित था। मै० श्रमैव गोपाल भवन इटावा द्वारा उक्त माह के कार्य हेतु बिल संख्या-30 दिनांक 05.12.17 प्रस्तुत किया गया था।

राज्य वित्त आयोग के अनुदान से शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन एवं विकास कार्य हेतु भुगतान किया जा सकता है। उक्त दर्शित कुल भुगतान कुल रू० 6586178.00(2268242+4317236) जो संविदा कर्मियों से सम्बन्धित है, तथा शासन द्वारा अनुमोदित नहीं है, को राज्य वित्त आयोग के अनुदान से किया जाना अनियमित पाया गया। उक्त के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति



स्पष्ट की जाय तथा उक्त के सम्बन्ध में शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जाय। उक्त भुगतान में नगर विकास अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1212/9-1-2016-247-सा/15 दिनांक 02.05.16 के प्रस्तर-2 का अनुपालन नहीं किया गया था जिस हेतु औचित्य स्पष्ट किया जाय।

(17) शासन से अनानुमोदित संविदा कर्मियों का भुगतान रू0 67,96,593.00 राज्य वित्त के अनुदान से किया जाना अनियमित :- सम्परीक्षा में प्रकाश में आया कि निम्नलिखित व्यय प्रमाणकों द्वारा संविदा कर्मियों का भुगतान राज्य वित्त आयोग के अनुदानों से किया गया था-

क्र०	व्यय प्रमाणक संख्या/दिनांक	धनराशि	माह
1.	27/12/01/2018	4323631.00	सेनेटरी वर्कर का वेतन माह दिसम्बर 2017
	147/25/01/2018 मै० मो० इकबाल मडैया ख्याली राम इटावा	100658.00	आयकर कटौती
	योग	4434289.00	
2.	28/12/01/2018	2308680.00	वेतन भुगतान दिसम्बर
	148/12/01/2018 मै० श्रमैव गोपाल भवन स्टेशन रोड इटावा	53624.00	आयकर कटौती
	योग	2362304.00	

क्रमांक-1 पर दिसम्बर 18 माह का 437 कर्मियों के 12900.5 कार्य दिवस×रू0 343.73 प्रति दिवस की दर से रू0 4434289.00 भुगतान आगणन है। तथा जिसका बिल संख्या-22 दिनांक 08.01.18 है। क्रमांक-02 पर दिसम्बर 2018 माह का 378 कर्मियों के 11427 कार्य दिवस×दर प्रति दिवस रू0 206.73 से 2362304.00 का भुगतान आगणन है जिसका बिल सं०-32 दिनांक 06.01.18 है।

राज्य वित्त आयोग के अनुदान से शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन एवं विकास कार्य हेतु ही भुगतान किया जा सकता है। उक्त दर्शित कुल भुगतान रू0 6796593.00(4434289.00 + 2362304.00) जो संविदा कर्मियों से सम्बन्धित है, शासन द्वारा अनुमोदित नहीं है। को राज्य वित्त आयोग के अनुदान से किया जाना अनियमित पाया गया। नगर विकास अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1212/9-1-2016-247-सा/15 दिनांक 02.05.16 के साथ पठित शासनादेश संख्या-1/2015/जी०-2-23/दस-2015-301/टी०सी० दिनांक 16 फरवरी 2015 के प्रस्तर-2 में स्पष्ट निदेश दिया गया है कि नगर स्थानीय निकायों में कार्यरत समूह "ग" एवं समूह "घ" के कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इस आने वाला व्यय भार निकायों द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा। शासन स्तर से इस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। अतः उक्त भुगतान में उक्त दर्शित शासनादेश में दर्शित निदेश का पालन नहीं किया गया था। उक्त के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाय तथा उक्त के सम्बन्ध में शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जाय। संविदा कर्मियों के भुगतान की पत्रावली उक्त शासनादेश के क्रम में संचालित थी।



(18) मोटर व पम्प सेटों की मरम्मत पर हुये व्यय की अभिलेखीय पुष्टि न होने से रू0 6,08,415.00 का अनियमित भुगतान :- पालिका के अन्तर्गत नगर पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु नलकूपों व सीवर प्लान्ट पर स्थापित मोटर व पम्पसेटों की मरम्मत कार्य से सम्बन्धित बाउचर संख्या-40 दिनांक 10.09.17 रू0 594604.00 की जाँच से प्रकाश में आया कि मै0 शंकर इन्जीनियरिंग वर्क्स अरविन्द पुल, रेलवे रोड इटावा को मोटर व पम्पसेटों की मरम्मत से प्रस्तुत बिलों (बिल सं0-228 से 245 तक दिनांक 05.09.17 व बिल संख्या 270 दिनांक 06.09.17) का शुद्ध भुगतान रू0 594604.00 (कुल बिलों की राशि (जी0 एस0 टी0 रहित रू0 608415.00 (-) आयकर 2.27 प्रतिशत रू0 13811.00 का भुगतान चैक सं0-509770 दिनांक 16.01.18 द्वारा किया गया था। उक्त का विवरण निम्नानुसार था-

क्र0	विवरण	बिल सं0/दिनांक	धनराशि
1.	20 एच0पी0मोटर हरिजन बस्ती नलकूप	228 / 05.09.17	20315.00
2.	15 एच0पी0मोटर पक्का तालाब नलकूप	229 / 05.09.17	18470.00
3.	30 एच0पी0मोटर करमगंज नलकूप	230 / 05.09.17	26065.00
4.	25 एच0पी0मोटर काँजी हाउस नलकूप	231 / 05.09.17	25865.00
5.	15 एच0पी0मोटर रानीबाग नलकूप	232 / 05.09.17	18390.00
6.	मोटर व 3 स्टेज पम्प चिड़ीमार नलकूप	233 / 05.09.17	20990.00
7.	30 एच0पी0मोटर व 4 स्टेज पम्प दीप टंकी नलकूप	234 / 05.09.17	34565.00
8.	15 एच0पी0मोटर व स्टेज पम्प पक्का तालाब नलकूप	235 / 05.09.17	28490.00
9.	20 एच0पी0मोटर 3 स्टेज पम्प चौगुर्जी नलकूप	236 / 05.09.17	24790.00
10.	20 एच0पी0मोटर हरिजन बस्ती नलकूप	237 / 05.09.17	19065.00
11.	15 एच0पी0मोटर 7 स्टेज आवास विकास नलकूप	239 / 05.09.17	32040.00
12.	15 एच0पी0मोटर 7 स्टेज कुंज फाटक नलकूप	240 / 05.09.17	28415.00
13.	20 एच0पी0मोटर 4 स्टेज पम्प पक्का बाग नलकूप	241 / 05.09.17	27615.00
14.	25 एच0पी0मोटर 4 स्टेज पम्प जी0आई0सी0नलकूप	242 / 05.09.17	31515.00
15.	25 एच0पी0मोटर 4 स्टेज पम्प जी0आई0सी0हास्टल मेवाती टोला नलकूप	243 / 05.09.17	33165.00
16.	80 एच0पी0मोटर पम्प नं0-5 सीवर प्लान्ट	245 / 05.09.17	160180.00
17.	80 एच0पी0मोटर पम्प नं9-3 सीवार प्लान्ट	270 / 05.09.17	58480.00
		कुल योग	608415.00

उक्त दर्शित मोटर व पम्प सेटों का मरम्मत कार्य की पत्रावलियाँ अप्रस्तुत रहने से मोटर व पम्प सेटों के खराब होने की तकनीकी रिपोर्ट तथा उसके मरम्मत उपरान्त कार्य संतोषजनक होने की रिपोर्ट की जाँच नहीं हो सकी। उक्त दर्शित क्रमांक-01 से 20 एच0 पी0 मोटर तथा क्रमांक-10 पर 20 एच0 पी0 मोटर को दो बार मरम्मत एक दिनांक को होने से कार्य संदिग्ध प्रतीत होता है जिसकी अभिलेखीय पुष्टि करायी जाये। अन्यथा उक्त व्यय संदिग्ध एवं अनियमित माना जायेगा। उक्त भुगतान की पारण नोटिस में दर्शित था कि शासनादेश सं0-962/नौ-9-2017-81ज/17 दिनांक 17.10.2017 के अनुसार जी0 एस0 टी0 की कटौती बिल से की गयी हे व जी0 एस0 टी0 जमा करने की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा जी0 एस0 टी0 राशि रू0 109515.00 व्यापार कर विभाग के निर्धारित व्यापार कर लेखा



शीर्षक में जमा हो तो पुष्टि करायी जाय अन्यथा जी० एस० टी० जमा कराये जाने हेतु शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जाय।

*mwk*  
(19) 02 एच० पी० सबमर्सिबल पम्पों की मरम्मत पर हुए का अभिलेखीय प्रमाणन/अंकेक्षण न होने से रू० 3,57,820.00 का अनियमित भुगतान :- पालिका नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु 02 एच० पी० सबमर्सिबल पम्पों की मरम्मत कार्य से सम्बन्धित बाउचर संख्या-41 दिनांक 16.01.18 रू० 349698.00 की जॉच से प्रकाश में आया कि मै० त्रिलोकी सेल्स कारपोरेशन अरबिन्द पुल रेलवे रोड इटावा को 02 एच० पी० सबमर्सिबल पम्पों की मरम्मत से सम्बन्धित बिलों ( बिल सं०-48 से 72 तक दिनांक 18.11.17) का शुद्ध भुगतान रू० 349698.00 (कुल बिलों की राशि (जी० एस० टी० सहित) रू० 357820 (-) आयकर 2.27 प्रतिशत रू० 8122.00) का भुगतान चैक संख्या-509771 दिनांक 16.01.2018 द्वारा किया गया था। स्थापित सबमर्सिबल पम्प स्थल का विवरण जिनकी मरम्मत पर उक्त व्यय हुआ-

क्र०	स्थान	स्थापित सबमर्सिबल पम्प का विवरण
1.	मोहल्ला	चौकी शमशेरी में श्री बन्नेमियाँ के मकान के पास
2.	मोहल्ला	उझेडी में श्री लईक अहमद के मकान के पास
3.	मोहल्ला	कूचाशीलचन्द्र में श्री बल्लू महरोत्रा के मकान के पास
4.	मोहल्ला	करौल में श्री गुरुप्रसाद द्विवेदी एड० के मकान के पास
5.	मोहल्ला	काजी टोला में श्री मु० अवसार के मकान के पास
6.	मोहल्ला	कटरा पुदील खाँ में श्री जावेद पत्रकार मस्जिद के पास
7.	मोहल्ला	शाहमहमूद नौरंगाबाद में मुगीवाली गली में कामराज मस्जिद
8.	मोहल्ला	उर्दू में श्री शकीमस्त खाँ पूर्व सभासद के मकान के पास
9.	मोहल्ला	पक्का तालाब हनुमान मन्दिर के पास
10.	मोहल्ला	करनपुरा में यमुना तलहटी में खटखटा वाया आश्रम में
11.	मोहल्ला	छिषैटी बाह अड्डा चूना चक्की में बाबा विजयसिंह के मकान के पास
12.	मोहल्ला	ज्यातिनगर नुमाइश पन्डाल श्री सिराज अहमद के मकान के पास
13.	मोहल्ला	अड्डा जालिम में श्री विजयपालसिंह के मकान के पास
14.	मोहल्ला	श्रामनगर में श्री राधेश्याम कुशवाहा के मकान के पास
15.	मोहल्ला	पुरविया टोला में नाथ बाबा की बगिया में
16.	मोहल्ला	फेन्डस कालोनी में श्री रमेश चन्द्र यादव के मकान के पास
17.	मोहल्ला	अड्डा नारायण में श्री प्रतापसिंह कुशवाह के मकान के पास
18.	मोहल्ला	कबीरगंज में शिवमंदिर के पास श्री कल्लू खटिक
19.	मोहल्ला	पक्का तालाब बजरिया में दीपक मैटेरियल विल्डिंग वाली गली
20.	मोहल्ला	राहतपुरा मा०काशीराम कालोनी में ब्लाक संख्या-20 में
21.	मोहल्ला	नौरंगाबाद में श्री नरेशचन्द्र सविता के मकान के पास
22.	मोहल्ला	कटरा बलसिंह में शिवमंदिर में
23.	मोहल्ला	लालपुरा में बाल्मीक चौक में
24.	मोहल्ला	लालपुरा में श्री मुन्नालाल जैन के मकान के पास
25.	मोहल्ला	कटरा शमशेर खाँ में शिवमंदिर श्री पूरनसिंह



उपरोक्त दर्शित सबमर्सिबल पम्पों के मरम्मत कार्य की पत्रावलियों अप्रस्तुत रहने से पम्पों के खराब होने की तकनीकी रिपोर्ट तथा उसके मरम्मत उपरानत कार्य संतोषजनक होने की रिपोर्ट की जाँच न हो सकी। अभिलेखीय पुष्टि के अभाव में उक्त भुगतान अनियमित है। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा जी० एस० टी० राशि रू० 64408.00 (357820×18 प्रतिशत) व्यापार कर विभाग के लेखा शीर्षक में जमा की हो तो बाउचर/चालान प्रस्तुत कर पुष्टि करायी जाय अन्यथा शासनादेश के क्रम में कार्यवाही अपेक्षित है।

**(20) शापस जलकल विल्डिंग एवं नगर पालिका विल्डिंग का वैल्यूएशन तथा शापस डिप्रीशियेशन की कुल राशि रू० 2,53,18,762.00 जलकल विल्डिंग डिप्रीशियेशन की कुल राशि रू० 6,04,53,206.00 तथा नगर पालिका विल्डिंग डिप्रीशियेशन कुल राशि रू० 29,51,21,365.00 को नियमानुसार न होना अनियमित :-** नगर पालिका परिषद इटावा के वर्ष 2015-16 की बैलेन्सशीट की जाँच से प्रकाश में आया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में शिड्यूल बी-11 पर दर्शित फिक्स एसिटस शापस जलकल विल्डिंग एवं नगर पालिका विल्डिंग के वैल्यूएशन एवं उस पर किये गये डिप्रीशियेशन राशि के आगणन में निम्नांकित कमियाँ/अनियमिततायें प्रकाश में आयी-

(1) शापस जलकल विल्डिंग एवं नगर पालिका विल्डिंग के वैल्यूएशन राशि के सापेक्ष प्रत्येक का अलग-अलग विस्तृत ब्यौरा बैलेन्सशीट में नहीं दिया गया था जिसे प्रस्तुत कर प्रत्येक के वैल्यूएशन की स्थिति स्पष्ट की जाय।

(2) उक्त प्रीमाइसिस/विल्डिंग के वैल्यूएशन में करेन्ट मार्केट रेट के आधार लैंड कास्ट एवं लोकलिटी कास्ट की वृद्धि को सम्मिलित नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रीमाइसिस/विल्डिंग का वैल्यूएशन नियमानुसार नहीं पाया गया।

(3) उपरोक्त प्रीमाइसिस/विल्डिंग की वैल्यूएशन राशि से डिप्रीशियेशन किये जाने का कोई स्पष्ट आधार दर्शित नहीं था। कौन सी प्रीमाइसिस/विल्डिंग नई थी एवं कौन सी पुरानी थी। प्रत्येक पर डिप्रीशियेशन स्थिति अलग-अलग होती है। उपरोक्त प्रीमाइसिस/विल्डिंग के डिप्रीशियेशन का विस्तृत ब्यौरा बैलेन्सशीट में दर्शित नहीं था। अतः बैलेन्स शीट में दर्शित शापस में दर्शायी गयी डिप्रीशियेशन राशि रू० 25318762.00 (विगत वर्षों की राशि रू० 22233924.00 + आलोच्य वर्ष 2015-16 की राशि रू० 3084838.00) जलकल विल्डिंग में दर्शित राशि रू० 60453206.00 (विगत वर्षों की राशि रू० 53087585.00 (+) वर्ष 2015-16 की राशि रू० 7365621.00) तथा नगर पालिका विल्डिंग में दर्शित राशि रू० 295121365.00 ( विगत वर्षों की राशि रू० 259163768.00 (+) वर्ष 2015-16 की राशि रू० 35957597.00) प्रथम दृष्टया नियमानुसार परिलक्षित नहीं हुयी जिसे स्पष्ट किया जाय।

(4) वर्ष 2017-18 की बैलेन्सशीट अनुपलब्ध रहने से उपरोक्त प्रीमाइसिस/विल्डिंग के वैल्यूएशन की स्थिति तथा उस पर डिप्रीशियेशन की स्थिति अस्पष्ट रही जिसे अविलम्ब प्रस्तुत किया जाय।

**(21) लैंड वैल्यूएशन रू० 5,55,21,45,000.00 का विस्तृत ब्यौरा एवं उसकी मार्केट वैल्यू वृद्धि को न दर्शाया जाना अनियमित :-** वर्ष 2015-16 की बैलेन्सशीट के शिड्यूल बी-11 फिक्स एसिटस के अन्तर्गत दिनांक 01.04.14 लैंड वैल्यूएशन रू० 5552145000.00 दर्शित था। प्रश्नगत लैंड वैल्यूएशन के सापेक्ष लैंड का विस्तृत विवरण बैलेन्स शीट में नहीं दर्शाया गया था। लैंड कहाँ स्थित थी या है, की स्थिति अस्पष्ट रही। दिनांक 31.03.2015 को भी लैंड वैल्यूएशन रूप में 5552145000.00 दर्शित किया गया था। सामान्यता लैंड वैल्यूएशन में करेन्ट मार्केट की स्थिति



के अनुसार लैंड कास्ट में वृद्धि दृष्टिगत होती है। इस प्रकार उक्त दर्शित लैंड वैल्यूएशन में दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 के मध्य कोई वृद्धि दर्शित न किया जाना दर्शाता है लैंड का वैल्यूएशन प्रथम दृष्टया समुचित दृष्टिगत नहीं हुआ। लैंड वैल्यूएशन में वृद्धि न होने का औचित्य स्पष्ट किया जाय जिससे बैलेन्सशीट में दर्शित लैंड वैल्यूएशन को सही ठहराया जा सके। साथ ही लैंड का विस्तृत व्यौरा तत्समय का तथा सम्प्रति वर्ष का प्रस्तुत कराया जाना अपेक्षित है। वांछित अभिलेख सम्परीक्षा समाप्त तिथि तक अप्रस्तुत रहे।

*Acct*

(22) नजूल लैंड वैल्यूएशन रू0 32,77,85,000.00 का विस्तृत व्यौरा एवं उसकी मार्केट वैल्यू वृद्धि का दर्शाया न जाना अनियमित :- वर्ष 2015-16 की बैलेन्स शीट शिडयूल बी-11 फिक्स एसेट्स में नजूल लैंड वैल्यूएशन रू0 327785000.00 दिनांक 01.04.14 को दर्शित पाया गया प्रश्नगत लैंड वैल्यूएशन के सापेक्ष नजूल लैंड का विस्तृत व्यौरा बैलेन्सशीट में नहीं दर्शाया गया था। लैंड कहाँ स्थित थी या कहाँ स्थित है, की स्थिति अस्पष्ट रही। दिनांक 31.03.2015 को भी लैंड वैल्यूएशन रू0 327785000.00 दर्शित किया गया था। उक्त दर्शित स्थिति से स्पष्ट है कि लैंड नजूल के वैल्यूएशन में कोई नहीं हुयी। जबकि सामान्यता लैंड कास्ट में वृद्धि होती रही है। इस प्रकार उक्त दर्शित नजूल लैंड वैल्यूएशन में दिनांक 01.04.14 से 31.03.15 के मध्य कोई वृद्धि दर्शित न किया जाना दर्शाता है कि लैंड का वैल्यूएशन प्रथम दृष्टया नियमानुसार नहीं किया गया था। नजूल लैंड वैल्यूएशन में वृद्धि न होने के सम्बन्ध का कारण स्पष्ट किया जाय जिससे आर्थिक चिट्ठा में दर्शित नजूल वैल्यूएशन को सही ठहराया जा सके। नजूल लैंड का विस्तृत व्यौरा भी तत्समय का एवं सम्प्रति वर्ष का प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। वांछित अभिलेख सम्परीक्षा समाप्ति तिथि तक अप्रस्तुत रहे।

*Acct*

(23) बिल्डिंग का वैल्यूएशन तथा डिप्रीशियेशन की राशि रू0 4,72,501.00 को नियमानुसार न होना अनियमित :- नगर पालिका परिषद इटावा के वर्ष 2015-16 की बैलेन्स शीट की सम्परीक्षा में प्रकाश में आया कि शिडयूल बी-11 फिक्स एसेट्स (कोड नं0-410 एण्ड 411) की कोड नं0-410-20 विल्डिंग के प्रास ब्लाक कालम प्रारम्भिक शेष 01.04.2014 को रू0 2291430.00 दर्शित था जबकि इसी पृष्ठ पर नेट ब्लाक कालम में दिनांक 31.03.14 को बैलेन्स की राशि रू0 1914662.00 दर्शित थी। इस प्रकार 31.03.14 के बैलेन्स के सापेक्ष 01.04.2014 को प्रारम्भिक शेष रू0 376768.00 (2291430-1914662) को अधिक दर्शित किया गया था। इस प्रकार विल्डिंग के वैल्यूएशन की स्थिति बैलेन्सशीट में निम्नानुसार दर्शित थी-

विवरण	विल्डिंग वैल्यूएशन की वित्तीय स्थिति बैलेन्स शीट में दर्शित	विवरण	विल्डिंग वैल्यूएशन की वित्तीय स्थिति बैलेन्स शीट में दर्शित होनी चाहिए
01.04.14 को प्रा0 शेष	2291430.00	31.03.14 का अन्तिम एवं 01.04.14 का प्रा0 शेष	1914662.00
जोड़ा-वर्ष में एडीशन	0	जोड़ा- वर्ष में एडीशन	0
योग	2291430.00	योग	1914662.00
घटाया-डिडक्शन वर्ष में	0	घटाया- वर्ष में डिडक्शन	0
	2291430.00		1914662.00
घटाया-डिडक्शन डिप्रीशियेशन विगत वर्षों का	376768.00	घटाया- वर्ष का डिप्रीशियेशन	95733.00
डिप्रीशियेशन वर्ष में	95733.00	31.03.15 को इतिशेष	1818929.00



31.03.15 को इतिशेष	1818929.00		
--------------------	------------	--	--

उक्त में निम्नांकित कमियाँ प्रकाश में आयी।

(1) विल्डिंग के वैल्युएशन की राशि के सापेक्ष विल्डिंग्स का अलग-अलग ब्यौरा बैलेन्स शीट में नहीं दिया गया था। अतः कौन सी विल्डिंग का क्या वैल्युएशन किया गया था। अस्पष्ट रहा। जिसे स्पष्ट किया जाय।

(2) विल्डिंग्स के वैल्युएशन में विल्डिंग की करेन्ट मार्केट बैल्यू के आधार पर लैंड कास्ट की वृद्धि को सम्मिलित नहीं किया गया था। अतः विल्डिंग का वैल्युएशन नियमानुसार नहीं पाया गया।

(3) विल्डिंग्स के वैल्युएशन में डिप्रीशियेशन का स्पष्ट आधार दर्शित नहीं था। कौन सी विल्डिंग्स नई थी तथा कौन सी विल्डिंग पुरानी थी जिनकी अलग-अलग डिप्रीशियेशन की स्थितियाँ होती हैं। अतः बैलेन्सशीट में दर्शित डिप्रीशियेशन की राशि रू0 95733.00 प्रथम दृष्टया नियमानुसार परिलक्षित नहीं हुई। जिसे स्पष्ट किया जाय।

(4) वर्ष 2017-18 की बैलेन्सशीट अनुपलब्ध रहने से विल्डिंग्स वैल्युएशन की स्थिति अस्पष्ट रही जिसे अविलम्ब प्रस्तुत किया जाय।

24

(24) विभिन्न मदों में दर्शित डिप्रीशियेशन धनराशि को नियमानुसार न पाया जाना :- नगर पालिका परिषद इटावा के वर्ष 2015-16 की बैलेन्सशीट की जाँच से प्रकाश में आया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में शिड्यूल बी-11 पर दर्शित निम्नांकित मदों के वैल्युएशन एवं उस पर किये गये डिप्रीशियेशन राशि के आगणन की स्थिति को निम्नानुसार दर्शित किया गया था-

विवरण	पब्लिक लाइरिंग	प्लान्ट एण्ड मशीनरी	व्हीकलस
01.04.14 को प्रा0 शेष	26218794.00	39234635.00	13230265.00
जोड़ा- वर्ष में प्राप्ति	24563859.00	-	-
योग	50782653.00	39234635.00	13230265.00
घटाया-1. वर्ष 2014-15 का डिप्रीशियेशन	5710665.00	4096706.00	926332.00
2. विगत वर्षों का डिप्रीशियेशन	12711549.00	11923260.00	7054713.00
31.03.15 को इतिशेष	32360438.00	23214669.00	5249220.00

बैलेन्स शीट में दर्शित उक्त स्थिति में निम्नानुसार कमियाँ प्रकाश में आयी-

(1) प्रारम्भिक शेष में विगत वर्षों के डिप्रीशियेशन धनराशि जोड़कर प्रारम्भिक शेष में दर्शित था जो नियमानुसार न था। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

(2) उक्त मदों का विस्तृत विवरण (स्टांक पंजी की स्थिति) का ब्यौरा दर्शित नहीं किया गया था जिससे वस्तुवार (सामग्री अनुसार) वैल्युएशन की स्थिति अस्पष्ट रही।

(3) स्टांक पंजी में दर्शित वस्तु (सामग्री) के वैल्युएशन के क्रम में विगत वर्षों के एवं वर्ष 2014-15 हेतु दर्शित डिप्रीशियेशन किस आधार पर निर्धारित किया गया था, की स्थिति अस्पष्ट रही।

(4) निष्प्रयोज्य सामग्री के डिप्रीशियेशन को डिप्रीशियेशन की कुल राशि से निष्कासित नहीं किया गया जिससे डिप्रीशियेशन में वृद्धि होती जा रही थी। अतः डिप्रीशियेशन की दर्शित राशि का आगणन नियमानुसार समुचित नहीं पाया गया।



(5) निष्प्रयोज्य सामग्री की वस्तुवार स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया था जिसकी स्थिति स्पष्ट की जाय।

(6) वर्ष 2017-18 में मदों की वस्तुवार स्थिति क्या है की सूची सहित सम्परीक्षा में प्रस्तुत की जाय।

(25) पालिका के वाहनों में डीजल डलवाने पर हुए व्यय की पुष्टि हेतु सम्बन्धित वाहनों की लॉग बुक प्रस्तुत न होने से किये गये रू0 21,12,336.00 का अनियमित भुगतान :- सम्परीक्षा के दौरान देखा गया कि पालिका के वाहनों में डीजल की आपूर्ति से सम्बन्धित वा0 सं0 42 से 76 दिनांक 16.01.18 चैक संख्या-509772 दिनांक 16.01.18 रू0 1103233.00 एवं वा0 सं0-218 से 251 दिनांक 27.03.18 चैक सं0-604092 दिनांक 27.03.18 रू0 1009103.00 की जाँच की गयी। जिससे ज्ञात हुआ कि पालिका के 35 वाहनों में माह नवम्बर दिसम्बर 2018 में कुल रू0 2112336.00 के डीजल आपूर्ति का भुगतान मेसर्स काजी नरूल हसन हमीद हुसैन इटावा को किया गया था। पालिका के जिन वाहनों में डीजल आपूर्ति की गयी थी। उससे सम्बन्धित वाहनों की लागवुकें सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रहीं जिससे आपूर्तित डीजल की प्रविष्टि उपभोग तथा औसत माईलज मानक की जाँच न हो सकी। अतः उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

(26) गृहकर, जलकर एवं जलमूल्य की माँग वसूली पंजिकायें अपूर्ण :- टैक्स अनुभाग की सम्परीक्षा से प्रकाश में आया कि गृहकर, जलकर एवं जलमूल्य की माँग व वसूली पंजिकोयं पूर्ण न थी जिन्हें पूर्ण कर आगामी सम्परीक्षा में दिखाया जाय। पंजिकायें अपूर्ण होने के कारण गृहकर, जलकर एवं जलमूल्य की विगत वर्ष की बकाया, वर्ष की माँग एवं बकाया स्थिति के निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सका। टैक्स अनुभाग द्वारा अधिशासी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित उपर्युक्त करों विषयक रिपोर्ट की छायाप्रति उपलब्ध करायी हजसमें तीन वर्षों की स्थिति निम्नानुसार दर्शित थी-

वर्ष	निर्धारित माँग		माँग के सापेक्ष वसूली		विगत वर्ष का अवशेष रू0 लाख में
	विगत वर्ष का बकाया	वर्तमान वर्ष की माँग	विगत वर्ष के सापेक्ष वसूली	वर्तमान के सापेक्ष वसूली	
2015-16	14.29	143.53	4.50	150.68	9.79
2016-17	10.75	147.09	8.20	166.59	2.55
2017-18	17.00	169.24	5.00	189.08	12.00

उक्त आँकड़ों में निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी-

- (1) उक्त आँकड़ों की पुष्टि अभिलेखों से करायी जाय।
- (2) विगत वर्ष के बकाया के सापेक्ष वसूली तथा विगत वर्ष के अवशेष के आँकड़ों में अन्तर/ भ्रम है जिसे स्पष्ट किया जाय।
- (3) प्रत्येक वर्ष में वर्तमान वर्ष की माँग के सापेक्ष वसूली ज्यादा है। उक्त अधिक/ज्यादा वसूली का समायोजन किस प्रकार हुआ फिर पुनः माँग के सापेक्ष वसूली अधिक दर्शित हुयी, की अभिलेखीय पुष्टि कराते हुए स्थिति स्पष्ट करायी जाय जिससे दर्शित आँकड़ों की पुष्टि हो सके।



उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त आँकड़ों में गृहकर, जलकर एवं प्रेक्षाकर की धनराशियाँ सम्मिलित है।

**27) दो दशकों पूर्व किये गये कर निर्धारण का पुनरीक्षण न किये जाने से पालिका को करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति :-** गृहकर एवं जलकर लेखे की जाँच से प्रकाश में आया कि पालिका द्वारा वर्ष 1989 में 05 वर्षों हेतु कर निर्धारण की कार्यवाही की गयी थी। पाँच वर्षों उपरान्त पुनः 1994 में कर निर्धारण किया जाना चाहिए था किन्तु वर्ष 1994 से समाप्त तिथिके मध्य उक्त करों के पुनरीक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी थी। वर्ष 1989 से सम्परीक्षा समाप्त तिथि तक नवनिर्मित भवनों, पुर्ननिर्मित भवनो, नव विकसित क्षेत्रों/मुहल्लों में भवन विस्तार आदि पर कोई निर्धारण/पुर्ननिर्धारण नहीं किया गया। वर्ष 2009-10 में इसमें एक बार मात्र 25 प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी। वर्ष 1989 से अब तक नगर विस्तार का दायरा काफी बढ़ चुका था। उक्त करों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में पालिका प्रशासन एवं अधीनस्थ कर्मचारी जैसे कर निर्धारण अधिकारी, कर अधीक्षक की उदासीनता दृष्टिगत होती है जो पालिका प्रशासन द्वारा नये विकसित क्षेत्रों में नगरीय समस्त सुविधायें उपलब्ध करा रही है किन्तु उन क्षेत्रों में कर निर्धारण की कार्यवाही सुनिश्चित नहीं करा रही है। अतः नये विकसित क्षेत्रों में तत्काल कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। नगर पालिका द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्थिति के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में 2015-16 से 2017-18 तक दरों के दायरे में भवनों की संख्या निम्नानुसार थी-

वर्ष	कुल भवनों की संख्या	ऐसे भवनों की सं० जिनमें करों की माँग की गयी	अन्तर भवन संख्या जिनमें कर निर्धारण अब तक नहीं हुआ
2015-16	42798	36700	6032
2016-17	44798	42825	1973
2017-18	44798	42825	1973

उक्त भवनों में स्वकर प्रणाली के अधीन आलोच्य वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। वर्ष 2015-16 में कुल भवनों की संख्या 42798 थी। तीन वर्षों उपरान्त भी वही संख्या दर्शित थी जबकि क्षेत्र विस्तार के साथ भवनों की संख्या में वृद्धि होगा स्वाभाविक है। उन भवनों को उक्त दर्शित में अब तक सम्मिलित नहीं किया गया। 1973 भवनों को अभी तक कर दायरों में सम्मिलित नहीं किया गया। उपर्युक्त दर्शित स्थिति में प्रथम दृष्टिया परिलक्षित होता है। भवनों के पुनरीक्षण न होने से तागि पर्याप्त संख्या में भवनों को कर के दायरे में न लाने से अब तक करोड़ों रुपये के कर की क्षति होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। पालिका प्रशासन से करों के पुनरीक्षण एवं अवशेष भवनों तथा तीन वर्ष के अन्दर हुयी भवनों की वृद्धि को सम्मिलित करते हुए करों के निर्धारण कार्यवाही हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**28) आराजी किराया पंजी अपूर्ण रहने से बकाया की स्थिति सुनिश्चित न हो पाना :-** वर्ष 2017-18 की सम्परीक्षा में आराजी किराया पंजी की जाँच में पाया गया कि पंजी में दर्शित पैमाइश एवं उसकी किराया दर को अंकित नहीं किया गया था और न ही कोई धनराशि बकाया के रूप में दर्शित थी। उक्त पंजी अपूर्ण जिसे पूर्ण किया जाय। उक्त पंजी में मात्र वसूली की राशि दर्शित थी। यह राशि किस बकाया तथा माँग के सापेक्ष की गयी थी। अस्पष्ट रहा। पंजी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित थी। आराजी सम्पत्तियों से वर्ष 2017-18 में वसूल की गयी



राशि रू0 641424.00 को एक अलग पंजी पर दर्शित किया था। बकाये स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। अतः पंजी पूर्ण कर सम्परीक्षा में प्रस्तुत कराया जाना अपेक्षित है।

R.I


**(29) दुकान किराया पंजी में अवशेष किराये की धनराशि दर्शित न किया जाना :-** दुकान किराया पंजी की आलोच्य वर्ष की सम्परीक्षा से ज्ञात हुआ कि उक्त पंजिका निर्धारित प्रारूप पर अनुरक्षित नहीं थी। इसमें प्रत्येक दुकान किरायेदार के विगत वर्ष बकाया, मॉग वसूली एवं अवशेष के अन्तर को दर्शित नहीं किया गया था साथ ही साथ इसी क्रम में प्रत्येक पृष्ठ में विगत वर्ष बकाया मॉग वसूली एवं अवशेष तथा वार्षिक रूप में विगत वर्ष बकाया मॉग वसूली एवं अवशेष को दर्शाया नहीं गया था। मात्र वर्ष की वसूली की धनराशि रू0 3756409.00 दर्शित थी। अतः उक्त पंजी पूर्ण कर वार्षिक बकाये की स्थिति सुनिश्चित की जाय। उक्त पंजी सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं जिसे सत्यापित कराकर सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

A.G.

**(30) निर्माण पत्रावलियों में खनिज परिवहन प्रपत्र एम0 एम0-।। प्रपत्र सी संलग्न न किया जाना :-** निर्माण पत्रावलियों की जाँच से प्रकाश में आया कि मिट्टी भराई तथा मिट्टी मौरंग के कार्यों में खनिज परिवहन प्रपत्र सी/एम0एम0-।। पत्रावलियों में संलग्न नहीं पाया गया। नियमानुसार बिना वैध परिवहन प्रपत्र के खनिज की आपूर्ति पर ठेकेदार/कार्यदायी संस्था से रायल्टी की के अतिरिक्त रायल्टी का 5 गुना अर्थदण्ड (खनिज मूल्य) की कटौती बिल से की जानी चाहिए थी किन्तु आलोच्य वर्ष में किसी भी निर्माण पत्रावली में निर्धारित प्रपत्र संलग्न नहीं था और न ही अतिरिक्त अर्थदण्ड की वसूली की गयी थी। इससे खनिजों के अवैध व्यापार/आवागमन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ शासन को इसकी रायल्टी के रूप में मिलने वाली धनराशि के रूप में राजस्व क्षति हो रही थी। शासनादेश संख्या-3385/86-2015-292 दिनांक 15.10.2015 में स्पष्ट रूप से इस प्रकार के निर्देश दिये गये थे। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी इटावा के पत्रांक-1462/डी0 एल0 आर0 सी0/खनिज रायल्टी/2014 दिनांक 30.10.2014 तथा पत्रांक-1310/डी0 एल0 आर0 सी0/नोटिस/2017 दिनांक 10.11.17 द्वारा उक्त पेनाल्टी धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक " 853-अलौह" खनन तथा धातु कर्म उद्योग 102 खनिज रियायत शुल्क किराया तथा स्वत्य शुल्क में जमा कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। आलोच्य वर्ष में कुल अनुमानित मिट्टी भराई मात्रा 01 लाख घनमीटर पर रायल्टी दर रू0 30.00 प्रति घन मी0 का 5 गुना अर्थात् रू0 150.00 प्रति घन मीटर से यह धनराशि रू0 15000000.00 थी। अतः इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट कराते हुए आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

स्थान:- कानपुर।

दिनांक:- 27.03.2019



( देवेन्द्र )

उप निदेशक

कानपुर मण्डल कानपुर



## भाग-ख

1. गत सम्परीक्षा आख्या की समीक्षा :- गत सम्परीक्षा आख्या पालिका कार्यालय में प्राप्त हो गयी थी। गत एवं विगत वर्षों की अनिस्तारित आपत्तियाँ जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में दिया गया है, की अनुपालन आख्या तैयार कर निस्तारण की कार्यवाही की जाये।

2. वित्तीय स्थिति :- सम्परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार जहाँ तक सुनिश्चित किया जा सका आलोच्य सम्परीक्षा वर्ष में पालिका निधि तथा राज्य वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति निम्नांकित परिलक्षित हुयी-

01.04.2017 को प्रा0 अवशेष	55910751.00
जोड़ा- वर्ष की आय	366260912.00
योग	422171663.00
घटाया- वर्ष में व्यय	384995644.00
31.03.2018 को इतिशेष	37176019.00
जोड़ा- अभुक्त चैकों की धनराशि (परिशिष्ट "ख")	31041936.00
	68217955.00
जोड़ा- अवस्थापना निधि का अवशेष	38488231.00
	106706186.00
जोड़ा- बैंक में आय पक्ष में दर्शित किन्तु रोकड़बही के आय पक्ष में प्रविष्टि नहीं (परिशिष्ट "ख")	4662176.00
	111368362.00
31 मार्च 2018 को बैंक इतिशेष	
1. एस0बी0आई0 इटावा के खाता संख्या-11122295891	101482618.00
2. कोआपरेटिव बैंक इटावा खाता सं0-000310005000646	9935471.00
योग	111418089.00

टिप्पणी:- (1) संस्था द्वारा बैंक समाधान विवरण रोकड़बही में माहवार एवं वार्षिक नहीं बनाया गया था। अतः बैंक समाधान विवरण तैयार कर रोकड़बही एवं बैंक इतिशेष के अन्तर का समाधान कर सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

(2) भारतीय स्टेट बैंक खाता में रू0 4397550.00 हस्तान्तरण (नेफ्ट/आर0टी0 जी0एस0) द्वारा दिनांक 22.03.18 को जमा दर्शित थे। उक्त धनराशि किस स्रोत/उद्देश्य हेतु जमा हुयी थी, अद्यतन अस्पष्ट था। उक्त जमा धनराशि के स्रोत/उद्देश्य की जानकारी हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। उक्त धनराशि के बैंक खाता में जमा होने की जानकारी से सक्षम प्राधिकारी को अवगत कराया जाय। पूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर ही सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत से उक्त धनराशि निर्धारित उद्देश्य पर व्यय की जाय। अन्यथा सम्बन्धित स्रोत को धनराशि वापस करना सुनिश्चित किया जाय। इसी प्रकार सहकारी बैंक (कोआपरेटिव बैंक) खाता में रू0 9900.00 की धनराशि जमा थी। उक्त राशि किस स्रोत से जमा हुयी तथा किस मद हेतु जमा हुयी थी, की स्पष्ट स्थिति सुनिश्चित की जाय जिससे सम्बन्धित मद में उक्त धनराशि का अंकन हो सके।

उक्त दोनों धनराशियों की प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गयी थी। अतः उक्त हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।



(3) आय-व्यय का विवरण एल0 एफ0 ए0 104 परिशिष्ट "ग-1" एवं परिशिष्ट "ग-2" में दर्शित है।

**3. नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण न बनाया जाना :-** पालिका द्वारा नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण तैयार नहीं किया गया था, जिससे इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी। इसे तैयार कर दिखाया जाय। विगत वर्षों में भी इस पर आपत्ति उठायी गयी थी।

**4. राजकीय अनुदान :-** प्रमाणित किया जाता है कि पालिका को आलोच्य वर्ष में प्राप्त अनुदानों जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है, का उपभोग निर्धारित शर्तों एवं उद्देश्यों के अधीन किया गया था तथा इस आख्या में यथास्थान वर्णित अभ्युक्तियों के अतिरिक्त उनका विचलन नहीं किया गया था।

**(क) राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर प्राप्त अनुदान :-** आलोच्य अवधि में राज्य वित्त आयोग से निम्न अनुदान प्राप्त हुआ था-

क्र0	शासनादेश संख्या/दिनांक	प्राप्ति दिनांक	धनराशि
1.	8/582/152(3)/चतु0रा0वि0आ0/2017-18/11.04.17	25.05.17	22646662.00
2.	8/621/152(3)/चतु0रा0वि0आ0/2017-18/19.05.17	03.06.17	22646662.00
3.	8/854/152(3)/चतु0रा0वि0आ0/2017-18/22.06.17	10.07.17	22646662.00
4.	8/972/152(3)/चतु0रा0वि0आ0/2017-18/24.07.17	05.08.17	22646662.00
5.	8/1124/152(3)/चतु0रा0वि0आ0/2017-18/28.08.17	12.09.17	22646662.00
6.	8/1237/152(3)/चतु0रा0वि0आ0/2017-18/26.09.17	05.10.17	25518085.00
7.	8/1362/152(3)/चतु0रा0वि0आ0/2017-18/24.10.17	02.11.17	25518085.00
8.	8/1500/152(3)/चतु0रा0वि0आ0/2017-18/21.11.17	04.12.17	25518085.00
9.	8/1659/152(3)/चतु0रा0वि0आ0/2017-18/26.12.17	01.01.18	25518085.00
10.	8/1785/152(3)/चतु0रा0वि0आ0/2017-18/24.01.18	02.02.18	25518085.00
11.	8/1842/152(3)/चतु0रा0वि0आ0/2017-18/15.02.18	24.02.18	25518085.00
12.	8/2036/152(3)/चतु0रा0वि0आ0/2017-18/22.03.18	27.03.18	29557564.00
13.	8/2033/152(3)/चतु0रा0वि0आ0/2017-18/22.03.18 (5 प्रतिशत आडिट भुगतान)	28.03.18	27835686.00
		योग	323735071.00

**टिप्पणी :-** (1) उपरोक्त प्राप्त अनुदानों हेतु अनुदान पंजी अनुरक्षित नहीं की गयी थी। अतः अनुदान पंजी में अनुदानों की प्रविष्टि कर आगामी अवसर पर दिखाया जाय।

(2) पुष्टि की जाय कि उपरोक्त अनुदानों के अतिरिक्त अन्य अनुदान की धनराशि पालिका परिषद को प्राप्त नहीं हुयी।

(3) अनुदानों का विवरण एल0 एफ0 ए0 105 परिशिष्ट "घ" में दर्शित है।

**(ख) 13 वें/14 वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान :-**

क्र0	शासनादेश संख्या/दिनांक	प्राप्ति दिनांक	धनराशि
1.	8/441/171/14वाँ0वि0आ0/2016-17/28.03.17	06.04.17	112841048.00
2.	8/530/171/14वाँ0वि0आ0/2016-17/13.04.17	19.04.17	6225604.00



3.	8 / 811 / 171 / 14वाँ वि० आ० / 2016-17 / 07.06.17	14.06.17	35263047.00
4.	8 / 1014 / 171 / 14वाँ वि० आ० / 2016-17 / 03.08.17	16.08.17	37678.00
5.	8 / 1322 / 171 / 14वाँ वि० आ० / 2016-17 / 18.10.17	25.10.17	45157984.00
6.	8 / 1895 / 171 / 14वाँ वि० आ० / 2016-17 / 08.03.18	21.03.18	40728923.00
7.	8 / 1150 / 171 / 14वाँ वि० आ० / 2016-17 / 13.03.18	21.03.18	3186179.00
	योग		243440463.00
	+ ब्याज		6559063.00
	कुल योग		249999526.00

बैंक पासबुक के अनुसार आलोच्य अवधि में 13 वें/14 वें वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति निम्नवत थी-

01 अप्रैल को प्रा० शेष	67198463.99
वर्ष की आय	249999526.00
योग	317197989.99
वर्ष का व्यय	166125463.69
31 मार्च को इतिशेष	151072526.30
जोड़िये- अभुने चैक	12591592.00
योग	163664118.30
(-) बैंक एस०एम०एस०चार्ज बैंक में दर्शित परन्तु कैशबुक में नहीं लिया गया	17.70
	163664100.60
जोड़िये-गत वर्ष का अन्तर	29135.00
खाता सं०-0163000401513198 पंजाब नेशनल बैंक इटावा में शेष	163693235.60

न भुने चैकों का विवरण निम्नवत है :-

चैक संख्या	दिनांक	धनराशि	विवरण
160917	21.03.18	626027.00	मै० शीलू कुमान कंस्ट्रक्शन इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण
160920	26.03.18	583936.00	मै० चौधरी इन्जी० वर्क्स इटावा जी० एस० टी०
160921	26.03.18	709613.00	मै० राजेश कुमार सक्सेना सड़क निर्माण
160923	26.03.18	68375.00	मै० शैलेन्द्र कुमार इ० ला० सड़क निर्माण
160924	27.03.18	784187.00	मै० जी० एस० इण्टर प्राइसेस इ० ला० कार्य
955891	27.03.18	541637.00	मै० अजय कुमार ठेकेदार इ० ला० कार्य
955892	27.03.18	133928.00	मै० शिवराम कान्स्ट्रक्टर इ० ला० कार्य
955893	31.03.18	285938.00	गनेश कुमार ठेकेदार इ० ला० कार्य
955894	31.03.18	1268266.00	मै० गोवर्धन एण्ड क० इ० ला० कार्य
955895	31.03.18	881457.00	मै० देव कंस्ट्रक्शन इ० ला० सड़क निर्माण
955896	31.03.18	1055806.00	मै० अजय कुमार इ० ला० कार्य
955897	31.03.18	380217.00	मै० कमलादेवी कान्स्ट्रक्टर इ० ला० कार्य
955898	31.03.18	147519.00	मै० आर० बी० इण्टरप्राइजेज इ० ला० सड़क कार्य
955899	31.03.18	29625.00	मै० ज्ञानवती ठेकेदार इ० ला० सड़क निर्माण



9558900	31.03.18	904089.00	मै०जी०एस०इण्टरप्राइजेज इ०ला० सड़क निर्माण
9558901	31.03.18	153978.00	सूरज प्रतापसिंह ठेकेदार जी० एस० टी० भुगतान
9558902	31.03.18	409180.00	प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक आयकर भुगतान
9558903	31.03.18	173892.00	उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार
9558904	31.03.18	1884492.00	प्रबन्धक एस० बी० आई० इटावा रायल्टी कटौती
9558905	31.03.18	1010970.00	प्रबन्धक एस० बी० आई० इटावा रायल्टी कटौती
9558906	31.03.18	116970.00	प्रबन्धक एस० बी० आई० इटावा रायल्टी कटौती
9558907	31.03.18	30000.00	प्रबन्धक एस० बी० आई० इटावा रायल्टी कटौती
9558908	31.03.18	411490.00	प्रबन्धक एस० बी० आई० इटावा रायल्टी कटौती
	योग	12591592.00	

**टिप्पणी :-** दिनांक 30.10.17 को चैक संख्या-530106 रू० 27755.00 एवं 530107 रू० 27755.00 भुगतान पक्ष में दर्शित की गयी थी तथा इन्हीं चैकों को निरस्त करते हुए धनराशि रू० 55510.00 (27755+27755) दिनांक 12.02.18 को आय पक्ष में दर्शित की गयी थी। उक्त धनराशियाँ न० पा० के आय-व्यय में सम्मिलित की गयी है किन्तु कान्द्रइन्ट्री के कारण वित्तीय स्थिति में नहीं लिया गया।

(2) अनुदानों का विवरण एल० एफ० ए० 105 परिशिष्ट "घ" में दिया गया है।

**(ग) 2 प्रतिशत अवस्थापना अनुदान ( स्टैम्प शुल्क) :-** आलोच्य अवधि में 2 प्रतिशत स्टैम्प से निम्न अनुदान प्राप्त हुआ था।-

क्र०	शासनादेश संख्या/दिनांक	प्राप्ति दि०	धनराशि
1.	8/1307/2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प/2017-18/10.10.17	22.12.17	6031057.00
2.	8/1534/2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प/2017-18/06.12.17	06.12.17	15438737.00
3.	8/1157/2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प/2017-18/14.03.18	31.03.18	8417055.00
4.	8/2062/2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प/2017-18/26.03.18	31.03.18	3840798.00
		योग	33727647.00

बैंक पासबुक के अनुसार आलोच्य अवधि में 2 प्रतिशत अवस्थापना अनुदान की वित्तीय स्थिति निम्नवत थी-

01 अप्रैल को प्रा० शेष	21395195.86
जोड़ा- वर्ष की आय	33727647.00
योग	55122842.86
वर्ष का व्यय	17366675.00
31 मार्च को इतिशेष	37756167.86
जोड़ा- अभुक्त चैक	732064.00
अवशेष धनराशि राज्य वित्त के भारतीय स्टेट बैंक खाता सं०-11122295891	38488231.86

न भुने ( अभुक्त ) चैकों का विवरण निम्नवत है-

चैक संख्या	दिनांक	धनराशि	विवरण
418821	21.03.18	363650	मै० जयवीर सिंह इस्लामियाँ टंकी तोड़ने का कार्य



418827	24.03.18	13174	उ0प्र0 भवन अन्य सन्निर्माण सेस दर 1 प्रतिशत
418829	31.03.18	325104	प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक समुन यादव भुगतान
418830	31.03.18	8064	सुमन यादव आयकर दर 2.27 प्रतिशत
418831	31.03.18	3517	सुमन यादव सेस दर 1 प्रतिशत
418832	31.03.18	18555	सुमन यादव राल्टी
	योग	732064	

टिप्पणी :- अनुदानों का विवरण एल0 एल0 ए0 105 परिशिष्ट "घ" में दिया गया है।

5. यू0 आई0 डी0 एस0 एम0 टी0 की वित्तीय स्थिति :- अभिलेखों के अनुसार जहाँ तक सुनिश्चित किया जा सका यू0 आई0 डी0 एस0 एम0 टी0 खाता की आलोच्य वर्ष में वित्तीय स्थिति निम्नवत रही-

01 अप्रैल 2017 को प्रा0 शेष	477143.00
जोड़ा- वर्ष में आय	18068.00
योग	495211.00
घटाया- वर्ष में व्यय	-
31 मार्च 2018 को इतिशेष	495211.00
बैंक इतिशेष	
पी0एन0बी0 इटावा खाता संख्या-3685000400150965	495211.00

टिप्पणी :- (1) उक्त खाता में आय के रूप में रू0 18068.00 बैंक ब्याज की प्राप्ति होना रोकड़बहीं में दर्शित पाया गया जिसकी प्रविष्टियाँ बैंक पासबुक में दर्शित थी।

(2) यदि उक्त परियोजना पूर्ण हो चुकी हो तो उक्त खाते में दर्शित राशि रू0 495211.00 को अंशदायी संस्था या शासन को वापस किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6. संगठित विकास योजना ( आई0 डी0 एस0 एम0 टी0 ) की वित्तीय स्थिति :- अभिलेखों में जहाँ तक सुनिश्चित किया जा सका आलोच्य वर्ष में संगठित विकास योजना की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी-

01 अप्रैल 2017 को प्रा0 शेष	2790166.86
जोड़ा- वर्ष में आय	619823.00
योग	3409989.86
घटाया- वर्ष में व्यय	3055060.00
31 मार्च 2018 को इतिशेष	354929.86
घटाया-रोकड़बहीं के आय पक्ष में दर्शित धनराशि जो बैंक आफ बड़ौदा खाता संख्या में 31.03.2018 तक जमा नहीं हुयी	37200.00
	317729.86
बैंक इतिशेष 31.03.2018	
1. बैंक आफ बड़ौदा इटावा खाता सं0-27240100019075	279092.86
2. कोआपरेटिव बैंक इटावा खाता सं0-3685000400150965	49080.00



3. स्टेट बैंक आफ इण्डिया इटावा खाता संख्या-11122295891	37768.00
योग रू0	365440.86

**टिप्पणी :-** (1) रोकड़बहीं इतिशेष तथा बैंक इतिशेष के मध्य अन्तर को बैंक समाधान विवरण तैयार कर वस्तुस्थिति स्पष्ट कर सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

(2) स्टेट बैंक आफ इण्डिया इटावा खाता में दर्शित धनराशि रू0 550208.00 (विगत की वर्ष की सम्परीक्षा टिप्पणी में दर्शित) से बैंक संख्या-418788 दिनांक 22.09.2017 धनराशि रू0 512440.00 का भुगतान किया गया था। इस प्रकार अवशेष धनराशि रू0 37768.00 उक्त खाता में रही।

(3) रोकड़बहीं के आय पक्ष में दर्शित आय रू0 37200.00 को बैंक आफ बड़ौदा इटावा खाता में दिनांक 31.03.18 के पश्चात अप्रैल 2018 में दर्शित किया गया था।

(3) इस मद से चालू वर्ष में रू0 व्यय किया गया था किन्तु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत प्राप्त नहीं की गयी थी जबकि इस निधि से निहित उद्देश्यों पर ही व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से किया जाना चाहिए। कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त सम्परीक्षा को दिखाया जाय।

**7. अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन (अमृत) योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान :-** पालिका को आलोच्य वर्ष में अटल नवीकरण और रूपान्तरण मिशन अमृत योजनान्तर्गत निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय उ0 प्र0 8 वॉ तल इन्दिरा भवन लखनऊ द्वारा पी0 एन0 बी0 खाता संख्या-0294001100000696 में निम्नांकित अनुदान प्राप्त हुए थे-

क्रमांक	विवरण	धनराशि
1.	शा0सं0-378/2016/4033/नौ-5-2016-257सा/2016 दिनांक 27 दिसम्बर 2016 सपठित निदेशालय संख्या-एस0एम0एम0यू0/440/39(I)/2016 दि0 7 अप्रैल 2017	342000.00 685000.00
2.	शा0सं0-119/2017/2247/नौ-5-17-96बजट/17 दिनांक 12 अक्टूबर 2017 सपठित निदेशालय सं0-एस0एम0एम0यू0/1956/39(I)/2017 दिनांक 23.11.2017	344000.00
	योग	1371000.00

उक्त के अतिरिक्त आलोच्य वर्ष में बैंक ब्याज के रूप में रू0 201629.00 प्राप्त हुआ था। सम्परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी रोकड़बहीं के अनुसार आलोच्य वर्ष में उक्त खाते की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित हुयी-

01 अप्रैल 2017 को प्रा0 शेष	1611326.00
जोड़ा- वर्ष में आय	1572629.00
योग	3183955.00
घटाया- वर्ष में व्यय	77213.00
	3106742.00
31 मार्च 2017 को बैंक इतिशेष पी0एन0बी0 खाता संख्या-0294001100000696	3106742.00

**टिप्पणी :-** (1) अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन (अमृत) के अन्तर्गत यथा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों दिशा निर्देश व भारत सरकार के पत्र सं0 के 16012/3/2016 अमृ-2



दिनांक 30.09.16 में दिये गये शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत दी जा रही है। स्वीकृति धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(2) निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत के सापेक्ष निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ किया जायेगा तथा निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण किया जायेगा, जिससे कास्ट ओवर इन टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न हो। उक्त दर्शित अनुदानित धनराशि से सम्बन्धित कार्य अभी तक प्रारम्भ क्यों नहीं हुए की स्थिति स्पष्ट की जाय।

(3) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रयोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) निकाय अंश की धनराशि तत्काल निकाय द्वारा परियोजना हेतु उपलब्ध करायी जायेगी जिससे परियोजना के क्रियान्वयन पर प्रभाव न पड़े।

(5) अनदान से सम्बन्धित पत्रों में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

(6) अनुदानों का विवरण एल0 एफ0 ए0 105 परिशिष्ट "घ" में दिया गया है।

**8. स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय स्थिति :-** आलोच्य वर्ष में उपलब्ध अभिलेखों/शासनादेशों के अनुसार नगर पालिका परिषद को स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु निम्नांकित अनुदान प्राप्त हुये थे-

क्र0	राज्य मिशन निदेशक पत्रांक	प्राप्ति दिनांक	धनराशि
1.	पी0एम0यू0/484/427(1)/2017 दिनांक 23.03.17	03.04.17	132000.00
2.	पी0एम0यू0/267/427(2)/2017 दिनांक 23.08.17	28.08.17	72000.00
3.	पी0एम0यू0/262/427(1)/2017 दिनांक 21.08.17	28.08.17	2516000.00
4.	पी0एम0यू0/295/427(2)/2017 दिनांक 08.09.17	25.09.17	1990000.00
5.	पी0एम0यू0/342/427(2)/2017 दिनांक 10.10.17	16.10.17	4578000.00
6.	पी0एम0यू0/367/1415/एस0बी0एफ0 दि0 16.10.17	30.10.17	500000.00
7.	पी0एम0यू0/361/427(2)/2017 दिनांक 13.10.17	30.10.17	4743200.00
8.	पी0एम0यू0/378/427(3)/2017 दिनांक 24.10.17	30.10.17	284000.00
9.	पी0एम0यू0/478/427(3)/2017 दिनांक 22.12.17	30.10.17	200000.00
10.	पी0एम0यू0/479/427(3)/2017 दिनांक 22.12.17	01.01.18	392000.00
11.	पी0एम0यू0/476/427(3)/2017 दिनांक 21.12.17	01.01.18	4352000.00
12.	पी0एम0यू0/624/426(3)/2017 दिनांक 14.03.18	26.03.18	500000.00
		योग	20259200.00
		वर्ष में प्राप्त ब्याज	248102.00
		योग	20507302.00



स्वच्छ भारत मिशन की वित्तीय स्थिति निम्नवत थी—

01 अप्रैल 2017 को प्रा० शेष	4949315.00
वर्ष की आय	20507302.00
योग	25456617.00
वर्ष का व्यय	18280929.00
31 मार्च को इतिशेष	7175688.00
पी०एन०बी० खाता संख्या—4483000100036913	9426666.04

- (1) रोकड़बर्ही एवं बैंक खाते में दर्शित राशि का अन्तर स्पष्ट किया जाय।
- (2) अनुदानों का विवरण एल० एफ० ए० 105 परिशिष्ट "घ" में दिया गया है।

**9. सफाई कर्मचारी कल्याण निधि** :- इस निधि से सम्बन्धित अभिलेख बार-बार माँगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे सम्बन्धित अभिलेख की जाँच नहीं हो पा रही है। प्रश्नगत अभिलेख अविलम्ब प्रस्तुत किये जाय।

**10. राजकीय ऋण** :- पालिका को आलोच्य वर्ष में कोई राजकीय ऋण प्राप्त नहीं हुआ है और न ही गत-विगत वर्षों का उपभोग हेतु शेष था। उक्त कथन की पुष्टि की जाय।

**11. नजूल** :- सम्परीक्षा में नजूल रजिस्टर अप्रस्तुत रहा। गत-विगत वर्षों की सम्परीक्षा में भी इसे प्रस्तुत नहीं किया था। वांछित पंजी प्रस्तुत न होने से नजूल सम्पत्तियों की अद्यावधिक स्थिति अस्पष्ट रही। अतः वांछित अभिलेख अविलम्ब प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। नजूल सम्पत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथन की पुष्टि करायी जाय।

(1) नजूल सम्पत्तियों का सत्यापन सक्षम प्राधिकारी/जिलाधिकारी से वार्षिक कराया गया है।

(2) आलोच्य/विगत वर्षों में नजूल सम्पत्तियों से कोई आय प्राप्त नहीं हुयी।

(3) समस्त नजूल सम्पत्तियों का अतिक्रमण मुक्त रहने का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाय।

(4) नजूल पंजिका प्रस्तुत की जाय जिससे नजूल सम्पत्ति को किराये पर उठाये जाने की स्थिति स्पष्ट हो सके। यदि सम्पत्तियों फ्री होल्ड की गयी हो तो उसकी स्थिति स्पष्ट हो सके तथा शेष सम्पत्तियों का ब्यौरा प्रकाश में आये।

**12. बजट समीक्षा** :- आलोच्य वर्ष के अनुमानित बजट में अनुमानित आय रू० 666270000.00 तथा अनुमानित व्यय रू० 671475000.00 एवं प्रा० अवशेष रू० 122502364.00 एवं इतिशेष रू०



117297364.00 दर्शित थे। बजट में आय की विभिन्न मुख्य मदों की अनुमानित तथा आय पक्ष से सम्बन्धित वास्तविक आँकड़ों की स्थिति निम्नानुसार परिलक्षित हुयी—

मद	अनुमानित आय	वास्तविक आय	प्रतिशत
गृहकर	8000000.00	11472780.00	143 प्रतिशत
जलकर	8000000.00	10677004	133 प्रतिशत
आराजी / राजस्व ठेका	8500000.00	4722083.00	56 प्रतिशत
दुकान किराया	5000000.00	3865529.00	77 प्रतिशत
जलमूल्य	5000000.00	3445854.00	69 प्रतिशत
लाइसेन्स	960000.00	477510	49 प्रतिशत

इस प्रकार आराजी / राजस्व ठेका दुकान किराया, जलमूल्य तथा लाइसेन्स को अनुमानित आय के सापेक्ष वसूली कम होने से वास्तविक आय का प्रतिशत कम पाया गया। निश्चित तौर पर उक्त मदों के लक्ष्य के सापेक्ष वसूली के प्रयास पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया जो पालिका के वित्तीय हितों के प्रतिकूल है। उक्त विभिन्न मदों की वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित है। उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त दर्शित आय की मदों की अनुमान के सापेक्ष वसूली सन्तोषजनक परिलक्षित हुयी।

**13. सीवर एवं वाटर टैंक पंजिका अनुरक्षित न किया जाना :-** पालिका की सम्परीक्षा में प्रकाश में आया कि पालिका के जलकल विभाग द्वारा सीवर एवं वाटर टैंक पंजिका अनुरक्षित नहीं की गयी है। जिससे सीवर एवं वाटर टैंक के उपभोग से प्राप्त होने वाली आय से पालिका को वंचित रहना पड़ रहा है। अतः सीवर एवं वाटर टैंक के उपयोग होने से सम्बन्धित अभिलेख सम्परीक्षा में प्रस्तुत कराये जाये अन्यथा पालिका आर्थिक हितों के प्रतिकूल होने से आर्थिक क्षति से सम्बन्धित प्रकरण भविष्य में उत्पन्न होने की सम्भावना हो सकती है।

**14. ठेकेदारों की जमानत पंजिका अप्रस्तुत :-** आलोच्य वर्ष की सम्परीक्षा के दौरान ठेकेदारों की जमानत पंजिका माँग किये जाने पर प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे पत्रावलियों में जमा दर्शित की गयी अर्नेस्ट मनी तथा बिलों से कटौती की गयी जमानत के जमा तथा इसकी वापसी की जाँच नहीं की जा सकी। इसे सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

**15. ठेकेदार पंजीकरण पंजिका अप्रस्तुत :-** सम्परीक्षा के दौरान देखा गया कि पालिका में पंजीकृत ठेकेदारों की पंजिका तथा पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। इसे प्रस्तुत किया जाय, जिससे इसका मिलान किया जा सके।

**16. बकाया सम्परीक्षा शुल्क ₹0 13,68,000.00 को निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराया जाना अपेक्षित :-** आलोच्य वर्ष की सम्परीक्षा में सम्परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु आपत्ति संख्या-10 निर्गत की गयी है। सम्परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में उ० प्र० शासन के वित्त (लेखा विभाग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-12/2018/आडिट-2-695/दस-2018-355(11)/2017 दिनांक 01 अक्टूबर 2018 के क्रम में निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ० प्र० के पत्रांक-सं०शु०/का० आ०(111)/18-19/एम-2209 दिनांक 05.10.18 के अनुसार सम्परीक्षा



संस्थाओं/निकायों की सम्परीक्षा हेतु 01 अक्टूबर 2018 से सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण नहीं करने का आदेश निर्गत है।

अतः उक्त के क्रम में आलोच्य वर्ष की सम्परीक्षा हेतु सम्परीक्षा शुल्क आरोपण निरस्त समझा जाय। तथा विगत वर्ष की अवशेष सम्परीक्षा शुल्क की राशि रू0 1368000.00 को निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाय।

**17. विनियोजन :-** गत- विगत वर्षों की सम्परीक्षा टिप्पणियों के अनुसार कोई विनियोजन न होने का उल्लेख है। फिर भी पालिका द्वारा गत-विगत वर्षों तथा आलोच्य वर्ष में विनियोजन न होने की पुष्टि करायी जाय।

स्वच्छ आपत्ति पत्रावली में अब कोई पद शेष नहीं है।

स्थान:- कानपुर।

दिनांक:-27.03.2019

के0 के0 शुक्ला (प्रभारी)

सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी

( देवेन्द्र )

उप निदेशक

कानपुर मण्डल, कानपुर



नगर पालिका परिषद, इटावा  
वर्ष 2017-18 अनिस्तारित आपत्तियों की सूची

अवधि	सम्परीक्षा के अनुच्छेद	पद	कुल संख्या
1974-75	5,6(क)(ख),10(ख)(ग),11,12,13,14,15(क)(ख)(ग),16,17,18,19,20,21,22,23(1)(2)(3)(4)(5),24	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81	106
1975-76	5,19(1)(3)(4),20(1)(क)(ख)(ग),21(1)(2),22(1)(2)(3)(4)(5),23,24(1)(2)	25,31,32,57,59	22
1976-77	3टि0(3)(4),7(1)(2)(3)(4),16,17,18,19,20,21,22,23(1)(2)(3)	6,8,12,24,25,26,38,39,42,43,44	28
1977-78	3टि0(1),4,5,7परिशिष्ट(ख)(1)(2),8,9,10(1)(2)(3),11,12,(1)(2),13(1)(2),14,15,16,18,20,21,22(1)(2),23,24,26,27	—	26
1978-79	3टि0(2),5टि0(1)(2),6,7परिशिष्ट(घ)नोट(2)(3),9,10,11,12,13,14(1)(2),15(1)(2)(3),16(1)(2),17(1)(2),18(1)(2)(2)(3)(4)(5)(6)(7),19(1)(2)(3),20,21(1)(2),22,23,24,25(1)(2)(3),26(4)(7),27,28	—	45
1979-80	16,28,29,35	—	04
1980-81	6टि0(3),18,19,22(क)(ख),23,24,26,27,28,33(क)	—	11
1981-82	17,18,19,20,22,32(क)	—	06
1982-83 से 1983-84	3टि0(क)(ख)(ग)टि0(1)(2)(3)(4),7(1)(2)(3),14,15,16(ख),20,21(क)(ख)(ग),24टि0(4),25,27(क)(ख),30,33	—	22
1984-85	7(घ)टि0(1),17(2)(3),19(क)(ख),21(1)(2)	—	07
1986-87	3टि0(4)(5),4टि0(1),6(1)(2)(3),7(1),10(3),15(2)(3),17,18,19(1)(2)(3),20(3)(4),21,22(1),24(क)(ख)(ग),25(1)(2)(3)(ख)(ग),30(1)(2)(3),32	—	31
1987-88	3टि0(3)(5)(6),4टि0(1)(2)(3),7(क)टि0(1)(2),7(ख)टि0,8टि0(1)(2)(3),9टि0(1)(2),14(ख),15(ख)(ग)(घ)टि0(1),16(1)(2)(3),17,18टि0(1)(2),19टि0,20,21,22(1)(2),29(क)(ख)(ग)(घ),30(1)(2)(3)(4),35,36(1)(2)	—	40



1988-89	3टि0(2),4टि0(1)(2)(3)(4)(5),4टि0(क)(ख)टि0(1)(2), 15(1)(2)(क),16टि0,21,22,25(1)(2),28,29,33,35,36, 37	—	23
1989-90 से 1990-91	4टि0,6टि0(2),7टि0(2),18,20टि0,22(1)(2),23(1)(2)( 3)(4),24(1)(2),27,28,29(1)(2),30(1)(2),32,33,34,35, 36,37टि0,38,39टि0(क)(ख)(1)(2)	—	29
1991-92	3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7),4टि0(1)(2)(3),5टि0(1)(2), 6टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9),7टि0(1)(2)(3),8टि0 (1),12,13,14,15(1)(2)(3),16,17,18(1)(2),22(1)(2),2 2(1)(2)(3),23टि0,24,25,26(1)(2)(3)(4),27(1)(2),28 (1),29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41	—	61
1992-93	4टि0(1)(2)(3)(6)(ख)टि0(3)14टि0(6)(7),15,18,19 (क)(ख)टि0(1)(2),20(1)(2),21,22टि0(1)(2),23,24,25 ,26(क)(ख),27टि0,29,30टि0(1)(2)(3),31,34	5,6,7,22,29,33	35
1993-94	5टि03(छ)(ज)(झ),3,4,5,12टि0(3),13(1)(2)(3)(4)(5) (6)(7)(8)(9)(10)(11),14(ख),16(1)(2)(3)(4)(5),18,20 ,29,34	1,2,3,4,5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16,17,18 ,19,20,21,22,23,24	53
1994-95	3टि0(1)(2)(7)(8)(9),4टि0(1)(2)(3),5,7,टि0(1)(3),4,5 ,9टि0(1)(2),12,14टि0,15टि0(1)(2)(3)(4),17,18(2) टि0(1)(2)(3),19,20टि0(2),21,21टि0,22टि0(1)(2)(3), 24,25,26,27(1)(11),28,29(1)(11),30,32टि0(ख)(1) (2)(3),33(1)(2)	3,36,37,40,42,43,54	53
1995-96	5टि0(1)(3)(4),6(ख)टि0(1),8टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6),1 4(2),16(2)टि0(1)(2),20	—	14
1996-97	4टि0(1)(2)(3)(4),6टि0(3),18,19	—	07
1997-98	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0
1998-99	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0
1999- 2000	सम्परीक्षाआख्या-भागदो(ब)-1(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च) (छ)(ज),3टि0(1)(2),4टि0(1)(2),5,5(2)(3),6टि0(2)(3), 7टि0(1)(2),8(1)(2),9टि0(1)(2)(3)(4)(5),10,11(क)(1) (2)(3)(ङ)(च)(छ)(ज)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(झ)12	अज्ञात	42
2000-01	सम्परीक्षाआख्याभागदो(ब)-1(क)(ख)(1)(2)(3)(ग)(1) (2)(घ)(ङ)(1)(2)टि0(1)(2)(3)(च)(छ)(ज)(झ),3टि0(1) (2),4(क)टि0(1)(3)(ख)टि0(1),5,6(2),7टि0(1)(3)(4),9 ,10(1)(2)(3)(4)(5)11,12,13,14,15(क)(ख)(ग)(छ)(ज) (घ),16,17,18,19	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12,13,14,15,16,17, 18,19,20, 21,22	69
2001-02	सम्परीक्षाआख्या-भाग-दो-ब-1(1)(2)(3)टि0(1)(2) (3)(4)(5),5(2)(3)(6)(7)(8),3टि0(क)(ख)(ग)(घ),4टि0 (क)(ख)टि0(अ)(ब)(स)(द),5,6टि07(2)टि0(क)(ख)(ग) (घ)(च)(छ)9,10,11टि0(क)(ख)(ग),12,13,14,15(1)(2) (3)16(क)(ख)(ग)(घ),16,17(1),19,20,22,23(अ)(ब) (स)(2)(3)(ग)(घ)(1)(2)(3)(4)(र)(ल)(व)टि0 24	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12,13,14,15,16,17, 18,19,20, 21,22	86
2002-03	सम्परीक्षाआख्या-भाग-दो-ब-1(क)(ख)प्रथम(2) (3)(4)(5)(6)(क)(ख)(ग)(घ)(1)(2)(3)(च)(छ)(1)(2)(ज) (झ)2टि0(2)(3)(4)(5),4(क)टि0(1)(2),4(घ)टि0(1)(2)	1,2,3,4,5	60



	(3)(4)(5)(6)(7)(क)(1)(2),7(ख),8(क)टि0(1)(2)(3)(4) (5),8(ख)(1)(2)(3),8(ग)टि0(1)(2)(3)(4)8(घ)टि0(1) (2)(3)(4),9(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)		
2003-04	सम्परीक्षा-आख्या-भाग-दो(ब)-1(क)(1)(2)(3)(4) (5)(6)(7)(8)(9)1(ख)टि0(1)(ग)(1)(2)(3)टि0(1)(2)(3) (घ)(ङ)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(च)(छ)(ज)(झ)(ट) (1)(2)(3)(4)(5),1,2टि0(1)(11)(111)टि0(1),4(2)(3)टि 0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(ख)टि0(1)(2)(3)(4)(5),4 (क)टि0(1)(11)(ख)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6),5,6(1)(2) (3)(4)(5)(6)(7)(8)(ख)(1)(2)(ग)(1)(2)(3)(4)(घ)टि0 (1)(2)(3)(4)(5)(6),5,6(1)(2)(3),7(क)टि0(1)(11)(ख), 8(क)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6),7,8(ख)(1)(2)(ग)(1)(2) (3)(4)(घ)टि0(1)(2)(3)(4)(5),9टि0,10,11,12(1)(2)(3) ,13,14,15,16टि0(1)(2),17,18,19(1)(11)टि0,20,21, 22,23,24	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24 ,25,26,27,28,29,30,3 1,32,33,34, 35,36,37,38,39,40,41	161
2004-05 से 2005-06	सं0आ0-भाग-दो(ब)-1(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(1) (11)(छ)टि0(ज)(झ)(ट)टि0(1)(2)(5)(6)(ङ)टि0(1)(2) (ढ)(ण)(त)(थ)(द)(ध)(न)(प)(फ)(ब)(भ)(म)(य)(र),3(क) टि0(1)(2)(3)(4)(5),3(ख)टि0(1)(2)(3)(4)(ग)टि0(1)(2) (3)(4)3,3(घ)टि0(1)(2)(3)(ङ)टि0(1),4(क)टि0(1)(2) (3),4(ख)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)6,6(अ),6(ब)टि0(1)(2) (3)(4)(5)(6),7,8टि0(1)(2)(3)(4)(5),9,10टि0(1)(2),11 टि0(1),12टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6),13टि0(1)(2)(3),14	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12,13,14,15,16,17, 18,19,20, 21,22,23,24,25.	110
2006-07	आख्या भाग-प्रथम 1(क)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) भाग-दो(ब)-1(क)(ख)(1)(2)(ग)(1)(घ)टि0(1)(2)(ङ) (च)(छ)टि0(1)(2)(3)(ज)(झ)(इयॉ)(ट)(ठ)(ड)(ढ)(ण) (त)टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(थ)(द)(घ)टि0(1)(2)(3) (प)(फ)(ब)(1)(2)(म)(1)(2)(3)(4)(5)(म)(य)(1)(2)(3) (4)(5),3टि0(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10),3(क)टि0 (1)(2)(3)(4)(5),4टि0(1)(2)(3)(ख)टि0(1)(2),5,6टि0 (1)(2)(3),7(1)(2),8टि0(1)(2)(3),9(1)(11)(111)(4)(1) (2)(3)(4)(5)	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,12,13,14,15,16,17, 18,19,20, 21,22,23,24	119
2007-08	भागप्रथम-1(क)(ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(छ)(ज)(झ)(इयॉ) (ट)(ठ)2,3टि0(1)(2)(3)(4)(5),4टि0(1)(2),4(अ)टि0(1) (2)(3)(4),6,6(अ)टि0,7,8,9,10,11,12,13,14	-	33
2008-09	भाग-क-(क)दा(1)(2)(3)टि0(1)(2)(4)(5)(6)(क)(छ) भाग-ख-2टि0(1)(2)(3)(6)(7)(8)3टि0(1)(2)(3)(4) (5)(6),4(क)टि0(1)टि06,7,(1)(2)(3)(4)(5),8,9,10(क) (1)(2)(3),10(ख)टि0(1)(2)(3)	1,2,3,4	48
2009-10	भाग-क-(एक)(1),टि0,2,3,4,5टि0,6,तीन(1)(11) (111)(2)(3)(IV)(V)(VI)(VII)(VIII)(IX), 4(1)(2)(3)(4)(5) नौ(1)(2)(3)(4)(5)	-	27
2010-11	भाग-क-(क)1,1टि0,2,3,4,5,6,(ख)-1(1)(2)(3)(4) (5)(6)(7)(8),4,5,5टि0(1)(2)(3),6,7(1)(2)(3)(4)(5)(6) (7)(8),8(अ)(ब)टि0(1)(2),8(स)टि0(1)(2)(3)(क),8(द)	-	90



	(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8),9(1)(2)(3)(4),10,11,12,12 टि०(1)(2)(3)(4),13,13टि०(1)(2)(3)(4) भाग-ख-3टि०(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8),4टि०(1)(2) (3)(4)(5)(6)(7)(8)(9),5,6,7,8,9(1)(2)(3)(4)(5)(6),10, 11		
2011-12	भाग-"क"-क(1)(2)(3)(4)(1)(2)(4)(5)(6),5,टि०(1) (2)(3),7,8(1)(2)(3),9,10,11,12,13(1)(2),14,15,16,16 टि० भाग-"ख"-3टि०(1)(2)(3)(5),4टि०(1)(2)(3)(4)(5) (6)(7),5,6,7,8,9,10,11(3)	-	45
2012-13	भाग-क-क-(1)(2)(3)(4)(i)(ii)(5)(6)(7)(8)(9)(10) (11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22) (23)(24)(25)(26) भाग-ख-3टि०(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9),4टि०(1) (2)(3)(4)(5)(6)(7)(8),5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	-	54
2013-14	भाग-क-1,2,3,4,4(i),5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ,16,17,18,19,20,21,22,23,24,24(ख)(1)(2)(3)(4)(5) (6)(7)(8)(9)(10)	-	35
2014-15	भाग-क-(क)(i)(ii)(iii)(iv)(v),(ख)(1)(2)(3)(4) (5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(क)(ख)(ग) (घ)(च)(छ)(ज)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23) (24)(25)(26)(27) भाग-ख-3टि०(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(10)(11), 4(क)टि०(1)(2)(3)(4),4(ख)टि०(1)(2),4(ग)टि०(1)(2), 5,6टि०,7,8,9,10टि०(1)(2)(3)(4)(5),11(1)(2)(3)(4)(5) (6)(7)	-	73
2015-16	भाग-क-क(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) (13)(14)(15)(16)(21)(22),ख(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) (9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20) (21)(22) भाग-ख-2टि०(3)(4),8(1)(2)(3)(4),	-	45
2016-17	भाग-क-क(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11),(ख) (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15) (16) भाग-ख-2टि०(1)(2)(3)(4),3,4टि०(1)(2),5,6टि०(1) (2),8,9,10,11	-	42
		योग	1762



## अमुक्त चक्रों का विवरण

समूह बी० आई०, इलाहाबाद की अमुक्त चक्रों की स्थिति

क्रमांक	चक्र संख्या	दिनांक	धनराशि
1-	388465	6/5/17	77,625
2-	509783	22/1/18	1,000
3-	509800	05/2/18	3,66,450
4-	559354	9/3/18	19,067
5-	559365	17/3/18	2,58,124
6-	559376	26/3/18	1,30,452
7-	559377	तय्य	23,587
8-	559378	—	42,949
9-	559384	—	8,000
10-	559385	—	45,730
11-	559386	—	2,72,639
12-	559387	—	44,882
13-	559389	—	5,500
14-	559390	—	7,497
15-	559391	—	47,259
16-	559392	—	15,000
17-	559394	—	5,000
18-	559395	—	5,000
19-	559396	—	5,000
20-	559397	—	2,000
21-	559398	—	5,000
22-	559399	—	4,850
23-	559400	—	5,000
24-	604087	—	2,000
25-	604086	—	3,000
26-	604088	—	2,000
27-	604089	—	5,000
28-	604090	—	4,729



-40-90-

<u>क्रमांक</u>	<u>चक्र संख्या</u>	<u>दिनांक</u>	<u>धनराशि</u>
30-	604092	27/3/18	10,09,103
31-	604093	—	4,86,695
32-	604094	—	2,37,172
33-	604095	—	1,06,819
34-	604096	—	4,03,144
35-	604098	—	1,46,829
36-	604099	—	5,18,549
37-	604100	—	7,19,321
38-	604101	—	37,760
39-	604102	—	4,20,891
40-	604103	—	24,99,622
41-	604106	—	72,086
42-	604108	30/3/18	46,89,309
43-	604110	—	36,236
44-	604111	—	53,251
45-	604112	—	1,92,545
46-	604113	—	20,000
47-	604114	—	1,00,020
48-	604115	—	19,100
49-	604116	—	2,20,000
50-	604117	—	3,45,515
51-	604118	31/3/18	1,04,146
52-	604119	—	36,94,194
53-	604120	—	24,62,796
54-	604121	—	12,89,341
55-	604122	—	17,70,867
56-	604123	—	6,31,730
57-	604125	—	5,43,306
58-	604126	—	1,96,911
59-	604127	—	4,22,342
60-	604128	—	1,63,631



क्रमांक	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि
61-	604129	31/3/18	13,80,926
62-	604130	—	3,00,868
63-	604131	—	3,38,123
64-	604132	—	7,55,239
65-	604133	—	3,92,006
66-	604134	—	1,94,086
67-	604135	—	95,115
68-	604136	—	1,76,865
69-	604137	—	6,25,700
70-	604138	—	8,90,813

योग रु० 3,01,82,312

को-आपरेटिव बँक, इरावा खाता की अभुक्त चेकों की रिपोर्ट

क्रमांक	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि
1-	264033	20/4/17	2,18,848
2-	388366	26/3/18	6,40,776
		योग	<u>8,59,624</u>

अभुक्त चेकों का कुल योग

① स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया, इरावा - रु०	<u>अभुक्त चेकों की राशि</u> 3,01,82,312
② को-आपरेटिव बँक, इरावा - रु०	8,59,624
कुल योग	<u>3,10,41,936</u>



बैंक में जमा दशित आय/अन्य धनराशि, जिसे शैकडवही बैंक आय वक्ष में प्रविष्टि कर दशाया नही जाया था, का विवरण :-

क्रमांक	दिनांक	भारतीय स्टेट बैंक (वाराणसी) में दशित आय/अन्य धनराशि	को-ऑपरेटिव बैंक (वाराणसी) में दशित आय/अन्य धनराशि
1-	09/2/18	—	9,900
2-	22/3/18	43,97,550	—
3-	30/3/18	—	15,710
4-	—	—	2,36,480
5-	—	—	2,536
		<u>योग</u> 43,97,550	<u>2,64,626</u>

उपरोक्त धनराशियों का कुल योग रु 46,62,176  
(43,97,550 + 2,64,626)

2  
4  
5  
5  
5  
5  
5  
6  
6  
6  
6



वर्ष 2017-18 में

**नगरपालिका परिषद्/जिला पंचायत/नगर पंचायत/क्षेत्र पंचायत इत्यादि के आय और व्यय की तालिका**

( अंक पूर्ण रुपयों में )

क्रम-संख्या	स्थानीय निकाय का नाम	1 अप्रैल 18 को प्रारम्भिक अवशेष	2017-18 वर्ष को आय					प्रारम्भिक अवशेष सहित योग 3+4 (ग)	वर्ष में हुआ व्यय	31 मार्च 18 को अन्तिम अवशेष	अन्य
			राजकीय अनुदानों और ऋणों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय	अनाव० राजकीय अनुदान	आवर्तक राजकीय अनुदान	राजकीय ऋण	वर्ष की सम्पूर्ण आय (क+ख+ग+घ)				
1	2	3	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (च)	5	6	7	8
1	मुख्य वेतन बही										
1	राज्य वित्त भाषा नगर निधि	5,59,107.51	425258.41	—	3237350.11	—	3662609.12	42,2171,662	38,499,564.4	3,71,76,019	
2	14वां वित्त भाषा	6,71,98,464	6559063 (वर्षा)	—	2434404.32	—	24,99,99,526	31,71,97,990	16,61,25,464	15,10,72,526	
3	2% अवस्थापना निधि	2,13,95,195	—	—	3,37,27,647	—	3,37,27,647	5,51,22,842	1,73,66,675	3,77,74,846	
4	संगठित विकास प्रोजेक्ट	2790,166	6,19,823	—	—	—	6,19,823	34,09,909	30,53,929	3,54,060	
5	इ.आई.डी. का स्वरूप	4,77,143	18068	—	—	—	18068	495,211	शून्य	495,211	
6	सिन्धु आर्द्र शिवालय	49,49,315	2,48,102	2,02,59,200	—	—	20507302	25456617	1,82,80,929	71,73,688	
7	अरल नवीकरण बोर्ड शहरी द्रव्य नहरा मिशन (अमृत)	16,11,326	2,01,629	13,71,000	—	—	15,72,629	31,83,955	77,21,3	31,06,742	
योग											



नगर पालिका पोरेसुड इलाका वर्ष २०१७-१८ मदनार आप का विवरण

1.	गडकर	1,14,72,780
2.	जलकर	1,06,77,004
3.	प्रेमा गडकर	90,000
4.	डेमा	39,83,659
5.	आराजी	7,38,424
6.	फिराघा दुमान	38,65,529
7.	जल शुल्क	34,45,854
8.	अन्य जलकल	6,588
9.	नकल फीस	48,630
10.	लाइसेन्स रिक्शा	5,550
11.	लाइसेन्स पावर	41,665
12.	लाइसेन्स रवाय	9,495
13.	नवीन लाइसेन्स एवं होटर उपनिधि	4,20,800
14.	प्रोजेक्शन फीस/शुजर चार्ज	4,830
15.	अपराध समाधान/लेट फीस	13,56,676
16.	प्रीमियम जमानत	4,63,175
17.	राज्य वित्त वेडनादि	32,37,35,071
18.	तेरहवां वित्त आयोग	25,00,55,036
19.	अवस्थापना मिथि @ 2% ग्राम्य शुल्क	3,31,27,647
20.	संगठित विकास योजना	6,19,823
21.	टि वॉलिंग फंड / UIDSMT	18,068
22.	विविध होटिंग	35,70,847
23.	रोड करिंग	6,840
24.	त्रिविदा शुल्क	2,31,7495

योग

65,06,81,486



1.	सामान्य प्रशासन वेतन अधिषट्क	64,37,873
2.	सामान्य प्रशासन अन्य खर्च	6,80,825
3.	कर संग्रह (अधिषट्क) वेतन	1,12,40,464
4.	कर संग्रह अन्य खर्च	95,300
5.	पेशान अंशदान	3,47,60,902
6.	मार्ग प्रकाश अधिषट्क	6,02,997
7.	मार्ग प्रकाश अन्य खर्च	1,59,37,663
8.	जल वल अधिषट्क	4,55,93,181
9.	जल वल अधिषट्क मीटर भरमा, समर व अन्य खर्च	1,32,91,051
10.	सबकजर वेन्सी अन्य खर्च	28,441
11.	सबकजर वेन्सी (अधिषट्क) वेतन	1,22,49,900
12.	लान्ट लण्ट कण्टीजेन्सी	1,72,42,961
13.	रोड वार्डिंग	3,48,051
14.	स्वास्थ्य विभाग (अधिषट्क) वेतन	36,17,151
15.	स्वास्थ्य " अन्य खर्च	1,38,531
16.	महावरी - बचाव (चूना, कलई, फिनाइल ब्लिचिंग पाउडर)	19,36,821
17.	वेक्सी नेशन वेतन	4,11,811
18.	उद्यान पार्क(माली) वेतन	8,14,601
19.	जन्म-मृत्यु अधिषट्क वेतन	405,641
20.	जन निर्माण अधिषट्क वेतन	20,84,112
21.	जन निर्माण अन्य खर्च	72,511
22.	सड़क निर्माण	7,49,019
23.	टोए	47,484
24.	दण्ड स्टेशनरी	1,01,9,641
25.	मुकदमा विभाग	8,48,743
26.	मुकदमा विभाग अन्य खर्च	562,099
27.	आविष्य निर्धि	1,67,46,216
28.	विविध	1,17,77,893
29.	अदापगी करण	3,00,000
30.	अग्रिम	1,03,000
31.	संगठन विकास योजना	30,53,929
32.	अवस्थापना निर्धि	1,73,667
33.	13वां वेतन आयोग	1,66,180
		<hr/>
		52,15,992



नगर पालिका परिवह इलाका की वि-बीय रिपोर्ट वर्ष २०१७-१८

विवरण	मुख्य लेखा नगर पालिका निधि स्व राज्य विन्न आयोग	२५. अवस्थापना विकास निधि	संगठित विकास योजना (IDSMT)	१४ वॉ विन्न आयोग	यू० आर डी सी० सम० सम० सम० सी०
वर्ष का प्रारम्भिक शेष	5,59,10,751	2,13,95,195	27,90,166	671,98,463	4,77,143
<u>जोडा - आय योग</u>	36,62,60,912	3,37,27,647	6,19,823	24,99,99,526	18,068
<u>घटाया - व्यय</u>	42,21,71,663	5,51,22,842	34,09,989	31,71,97,989	4,95,211
<u>इति शेष</u>	38,49,95,644	1,73,66,675	30,55,929	16,61,25,463	—
<u>जोडा - अनुवृत्त चेकों की धनराशि</u>	3,71,76,019	3,77,74,846	3,54,060	15,10,72,526	4,95,211
<u>योग</u>	3,10,41,936	7,32,064	—	1,25,91,592	—
<u>जोडा - (१) अवस्थापना निधि का अनुवृत्त</u>	6,82,17,955	3,84,88,231	3,54,060	16,36,64,118	—
<u>(२) बैंक में आय वसूली में दर्शित विन्न शेष वही है, आय वसूली में उचित नहीं</u>	3,84,88,231	—	—	(-) बैंक चार्ज 18	—
<u>योग</u>	46,62,176	—	—	16,36,64,100	—
<u>घटाया - शेष वही है, आय वसूली में दर्शित किन्तु बैंक खाते में जमा नहीं</u>	11,13,68,362	—	—	(+) गत वर्ष का अन्तर 39,135	—
<u>बैंक इति शेष का विवरण</u>	—	—	—	16,36,93,235	—
१) राज्य विन्न सम० की ओर से (बिल संख्या - 11/22/295/89)	10,14,82,618	—	37,200	—	—
२) नगर पालिका निधि जिला सहकारी बैंक (बिल संख्या - 000/31/000/5000/646)	99,35,471	—	—	—	—
३) बैंक आय वसूली, इलाका (बिल संख्या - 272/40/1000/19075)	—	—	—	—	—
४) पंजाब नेशनल बैंक, इलाका (बिल संख्या - 016/300/4015/13198)	—	—	—	—	—
५) पंजाब नेशनल बैंक, इलाका (बिल संख्या - 20/000/000/000/000)	—	—	—	—	—
					495211



97 - 47

परिशिष्ट - 'ब'

प्रपत्र संख्या स्था० नि० ले० 105

वर्ष 2017-18 में

नगरपालिका परिषद/जिला पंचायत/नगर पंचायत/क्षेत्र पंचायत

द्वारा प्राप्त अनुदानों तथा ऋणों का विवरण

(अंक पूर्ण रुपों में)

क्रमांक	आय का शीर्षक	द्वय का वास्तविक	क्रमांक 1 के समस्त स्तम्भ 3 में प्रदर्शित अनुदानों की संवृत स्थिति		मन्तव्य
			कुल आवर्तक अनुदान	कुल अनावर्तक अनुदान	
1	2	3	4	5	
1	ग्राम से प्राप्त अनुदान का प्रयोजन:-				
	(क) शिक्षा 1. राठौर शाह संप्रदाय शकुल	32,37,35,071	32,37,35,071	—	
	(ख) चिकित्सा 2. 14वें वित्त आदर्श प्राय शकुल	24,34,40,462	24,34,40,462	—	
	(ग) जन स्वास्थ्य			—	
	(घ) सड़क 3. 2% अवस्थापना निर्धि	3,37,27,647	3,37,27,647	—	
	(ङ) अन्य निर्दिष्ट प्रयोजन			—	
	(च) सामान्य प्रयोजन 4. 14वें वित्त आदर्श 6 भाग	65,59,063	65,59,063	—	
	(छ) नगरपालिका परिषद/जिला पंचायत/अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत लक्ष्य के अर्थात् अर्थात् अर्थात्	2,02,59,200	—	2,02,59,200	
	(ज) नगरपालिका परिषद/जिला पंचायत/नगर पंचायत/क्षेत्र पंचायत द्वारा प्रशासित नोका घाटों से प्राप्त आय के समतुल्य				
	(झ) अन्य प्रयोजन				
	(ञ) जिला पंचायतों के सम्बन्धों में स्थानीय उद्भवों के समतुल्य				
	(ट) अरल अजीकरण एवं शास्त्री				
2	प्राप्त से प्राप्त ऋण (रिपानर) मिशन (अर्थात्)	13,71,000	—	13,71,000	
3	खुले बाजार से लिये गये ऋण				
	योग	62,77,21,444	60,74,62,244	21,63,200	

पी० ए० यू० पी० ०-9 स्था० निधि लेखा-31-10-2001-100,000 (जाब) ।

वरिष्ठ लेखा परीक्षक



वर्ष 2017-18

के अन्तर्गत

द्वारा अमरस्युक्त अनुदानों की तालिका

क्रम-संख्या	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक घनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षारम्भ में प्रारम्भिक अवशेष	वर्षान्तर्गत प्राप्त अनुदान	बीग	वर्ष में व्यय की गई घनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवशेष	मन्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 के अन्तर्गत	आयोग के द्वारा अनुदान			प्रति अवशेष	6,71,98,464	6,71,78,464				
A.	8/451/17/14 का वि. आ. / 2016-17, 28 <sup>3</sup> /17	क्षेत्रीय बुनियादी अनुदान	11,28,41,048	6-4-17	—	11,28,41,048	11,28,41,048			
2.	8/530/17	"	62,25,604	19-4-17	—	62,25,604	62,25,604			
3.	8/811/17	"	3,52,63,047	14-6-17	—	3,52,63,047	3,52,63,047			
4.	8/1014/17	"	37,678	16-8-17	—	37,678	37,678			
5.	8/1322/17	"	45,57,984	25-10-17	—	45,57,984	45,57,984			
6.	8/1095/17	"	4,07,28,922	21-3-18	—	4,07,28,922	4,07,28,922			
7.	8/1150/17	"	31,86,177	21-3-18	—	31,86,177	31,86,177			
								1,66,12,546.3	1,51,07,252.8	
										3,71,97,987

राजकीय संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के संदर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विभाग की प्रेषित।

उपरोक्त

दिनांक \_\_\_\_\_

निदेशक,  
राजकीय निधि सेवा,  
उत्तर प्रदेश।

पी० एच० यू० पी० - 8 रफा नुं नुं - 27-5-97-50,000 (पाव)।



क्र.सं.	राजकीय आदेश संख्या तथा तिथि, जिससे अनुदान स्वीकृत हुआ	अनुदान का प्रयोजन	अनुदान की मौलिक घनराशि	अनुदान प्राप्ति की तिथि	वर्षाभ में प्रारम्भिक अवधि	वर्षान्तगत प्राप्त अनुदान	योग	वर्ष में कार्य की गई घनराशि	वर्षान्त में अन्तिम अवधि	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2). स्लैम्प ल क्राफ अनुदान		घा.0 आवेशोष				2,13,95,196	-	2,13,95,196	-	
1.	8/1304/02% अति. स्लैम्प 2017-18 दि.0 18-10-17	अवस्थापना कार्य हेतु	6031057	22-12-17	-	6031057	6031057			
2.	8/1524/2% अति. स्लैम्प 2017-18 दि.0 6-12-17	"	154,38,737	6-12-17	-	154,38,737	154,38,737			
3.	8/1154/2% अति. स्लैम्प 2017-18 दि.0 31-3-18	"	84,17,055	31-3-18	-	84,17,055	84,17,055			
4.	8/2062/2% अति. स्लैम्प 2017-18 दि.0 31-3-18	"	38,40,798	31-3-18	-	38,40,798	38,40,798			
योग							5,51,22,842			

राजाधर संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ के संदर्भ में महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विभाग को प्रेषित।

सं.0 \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

निदेशक,  
स्थानीय निधि विभाग,  
उत्तर प्रदेश।